जामिया दर्पण

वर्ष–6, अंक–4, जून 2024

जामिया दर्पण

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पत्रिका

वर्ष–6 अंक–4, जून 2024

संरक्षक

प्रो. मौहम्मद शकील, का. कुलपति

प्रधान संपादक

एम. नसीम हैदर, का. कुलसचिव

संपादक

प्रो. इन्दु वीरेन्द्रा

संपादन सहयोग

डॉ. यशपाल

नदीम अख़्तर

संपादकीय कार्यालय

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ

कुलसचिव कार्यालय,

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली–110025

दूरभाषः 011–26981717 एक्स. 1223

ई–मेलः hindicell@jmi.ac.in

वेबसाइटः www.jmi.ac.in

पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार से विश्वविद्यालय अथवा संपादक मंडल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

अनुक्रम

कुलपति का संदेश			
कुलसचिव का संदेश			
संपादकीय			
क्र.	**विषय**	**लेखक**	**पृ.सं.**
1.	अरबी भाषा का महत्व और नौकरी के अवसर	प्रो. नसीम अख्तर, अध्यक्ष, अरबी विभाग	6
2.	हिंदी की व्यापकता और विस्तार	प्रो. चन्द्रदेव यादव, अध्यक्ष, हिंदी विभाग	7
3.	जीवन के सूत्र		8
4.	गंगा – एक वरदान	मुशर्रफ़ हुसैन, एलडीसी, स्कूल अनुभाग	9
5.	जब मैं दिल्ली शहर में आया	मौहम्मद शकील अहमद ख़ान, एलडीसी, लेखा अनुभाग	10
6.	राजभाषा अधिनियम, 1963	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	11
7.	रिपोर्ताजः एक एहसास	मौ. अमीनुल हसन	14
8.	जीत	वजाहतउल्लाह ख़ान, निजी सहायक, जवाहरलाल नेहरु अध्ययन केंद्र	16
9.	यादें	डॉ. मो. नूरूल इस्लाम, कंप्यूटर ऑपरेटर, एफटीके–सीआईटी	17
10.	हिंदी दिवस		19
11.	सफलता के सूत्र		21
12.	भारत में फ़ारसी भाषा का विकास	प्रो. सैयद कलीम असग़र, अध्यक्ष, फ़ारसी विभाग	24
13.	संस्मरण	नरेन्द्र सिंह रावत, निजी सहायक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय	30
14.	नए जूते	सबा रेहान, अनुभाग अधिकारी, लीव एवं पेंशन अनुभाग	33
15	अविस्मरणीय घटना	अकील अहमद, सहायक संरक्षण, डॉ. ज़ाकिर हुसैन पुस्तकालय	34
16	सी.आर.	मुशर्रफ़ हुसैन, एलडीसी, स्कूल अनुभाग	35
17	भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग–17	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	36
18	प्रश्न–चिन्ह्	मयंक यादव, छात्र, बी.ए. हिंदी ऑनर्स	39
कविताएँ			
19	परदेस	अनुपम आनंद, वरिष्ठ शोधार्थी, संस्कृत विभाग	18
20.	भारतः विश्व गुरु	डॉ अंदलीब, सहायक प्राध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण एवं निरौपचारिक शिक्षा विभाग, शिक्षा संकाय	18
21.	ज़िंदगी	निशाद–उल–हक़, यूडीसी	18
22.	दास्ताने जामिया एवं गीत	डॉ. मो. नुरुल इस्लाम, कंप्यूटर ऑपरेटर, एफटीके–सीआईटी	22
23.	पारिस्थितिकी तंत्र	ज़ैनब ख़ातून, छात्र	22
24.	कुक्कुर	सिराज अंसारी, शोधार्थी, शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संकाय	23
25.	मेरी माँ एवं गीत	मयंक यादव, छात्र, छात्र, बी.ए. ऑनर्स	23
26.	टूटे–टूटे सपने को फिर से मैंने जोड़ा है	अनुज, छात्र, एम.ए./एम.एस.सी. भूगोल	31
27.	थोड़ा थक सी जाती हूँ अब मै	हर्षिता यादव, छात्रा, बी ए, हिंदी	31
28.	उड़ान	डॉ. कंचन भारद्वाज, प्रवक्ता–हिंदी, जामिया सीनियर सैकंड्री स्कूल	32

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली – 110025

JAMIA MILLIA ISLAMIA
(Central University)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
(NAAC Accredited A++ Grade)

جامعہ ملّیہ اسلامیہ
(مرکزی یونیورسٹی)
مولانا محمد علی جوہر مارگ، نئی دہلی۔۱۱۰۰۲۵

Tel.: 011 - 26984650, 26985180, Fax : 0091-11-26981232 | Email: vc@jmi.ac.in | Web: jmi.ac.in

कुलपति कार्यालय | Office of the Vice Chancellor | دفتر شیخ الجامعہ

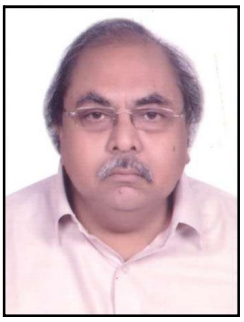

कुलपति का संदेश

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा "जामिया दर्पण" पत्रिका का प्रकाशन किया जाना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार और श्रीवृद्धि करने का आह्वान किया गया है ताकि वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अतः राजभाषा हिंदी के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक विशेष महत्व रखते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते राजभाषा संबंधी निर्देशों का पालन करने के संदर्भ में हमारा उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि हम भारतीय संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधित अनुच्छेदों के अनुरूप कार्य करें। मुझे गर्व है कि "जामिया दर्पण" पत्रिका इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि "जामिया दर्पण" जामिया के प्रशासनिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगी और राजभाषा हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मुहम्मद शकील

(प्रो. मौहम्मद शकील)
कुलपति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (नैक प्रत्यायित 'A++' ग्रेड)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, नई दिल्ली-११००२५
JAMIA MILLIA ISLAMIA
(A Central University) (NAAC Accredited 'A++' Grade)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, Jamia Nagar, New Delhi-110025

दूरभाष / Tel. : 26984075, 26988044, 26981717, 26985176
ई-मेल / E-mail : registrar@jmi.ac.in
वेबसाइट / Web. : https://jmi.ac.in
3rd Rank in NIRF

कुलसचिव कार्यालय Office of the Registrar دفتر مُسجّل

कुलसचिव का संदेश

भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं तथा अन्य विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता का प्रतीक है। इस अनेकता में एकता का श्रेय एक सीमा तक हिंदी भाषा को भी जाता है क्योंकि हिंदी देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होने के कारण यह पूरे देश को एकता के सूत्र में बाँधती है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय सरकार के काम–काज में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हिंदी से संबंधित गृह–पत्रिकाओं के माध्यम से भी राजभाषा हिंदी के विकास को गति मिलती है और मुझे विश्वास है कि "जामिया दर्पण" राजभाषा हिंदी को नया आयाम प्रदान कर रही है।

इस बार के "जामिया दर्पण" के अंक में संकलित रोचक एवं ज्ञानवर्धक रचनाओं से पाठक लाभान्वित होंगे और नई ऊर्जा के साथ राजभाषा हिंदी में अपने कार्यालयी कार्य को निष्पादित करने के लिए प्रेरित भी होंगे। पत्रिका में संकलित रचनाओं के लिए मैं रचनाकारों को बधाई देता हूँ और इस पत्रिका को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ को शुभकामनाएँ देता हूँ।

(एम. नसीम हैदर)
कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar
जामिया मिल्लिया इस्लामिया / Jamia Millia Islamia
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) / (Central University)
नई दिल्ली / New Delhi-110025

संपादकीय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की गृह पत्रिका 'जामिया दर्पण' के इस अंक को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भाषा न सिर्फ़ भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि हमारे देश की संस्कृति, साहित्य एवं संस्कारों का आधार भी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन भारत संघ की राजभाषा के प्रचार–प्रसार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

साथ ही, राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा विकास के लिए राजभाषा संबंधी आदेशों–अनुदेशों का अनुपालन भी उसी दृढ़ता के साथ करेंगे, जिस प्रकार अन्य सरकारी आदेशों–अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

मै पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इस पत्रिका हेतु अपने लेख प्रेषित किए।

इन्दु वीरेन्द्रा

(प्रो. इन्दु वीरेन्द्रा)

अरबी भाषा का महत्व और नौकरी के अवसर

प्रोफ़ेसर नसीम अख्तर*

जैसा कि आप जानते हैं, अरबी भाषा दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक है, और सेमेटिक भाषाओं में सबसे अधिक बोली और लिखी जाती है। यह बाईस अरब देशों की पहली आधिकारिक ज़बान है। यह चालीस करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा है, और डेढ़ अरब से अधिक मुसलमानों के लिए यह पूजा की भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक है, और हर साल 18 दिसंबर को विश्व अरबी दिवस मनाया जाता है। यह पर्याप्त रूप से सम्मानजनक और अमर है कि यह कुरान की जबान है।

यहाँ पर उपस्थित अधिकतम लोग हिंदी और संस्त विभाग से हैं, और मेरा मानना है कि आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में सैकड़ों अरबी शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप सभी निम्नलिखित अरबी शब्द जानते हैं:

कलम, किताब, कुर्सी, आदत, इश्क, मुहब्बत, नफरत, इज्जत, हिम्मत, कुदरत, मर्ज, दवा, इलाज, हक, इन्साफ, जुल्म, जालिम, कातिल, जालिम, मुजरिम, असर, खबर, सफर, नजर, जाहिल, माहिर, जाहिर, हासिल, वतन, तिजारत, हकीकत, करीब, हवा, कुर्सी, दाख़िल, ख़ारिज।

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार अरबी भाषा दुनिया की पांचवीं सबसे शक्तिशाली भाषा है।

बहरीन में ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक, टोनी काल्डरबैंक की राय है कि ''ब्रिटिश स्कूलों में अरबी भाषा पढ़ाना एक बड़ी आवश्यकता है।'' (यह ध्यान देने योग्य है) कि काल्डरबैंक अरबी सीखने के अपने अनुभव से इसके महत्व के बारे में आश्वस्त हैं। ''उन्हें विश्वास है कि अरबी भाषा ब्रिटेन की दीर्घकालिक आर्थिक और सांस्तिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।''

जामिया की स्थापना के दिन से ही अरबी भाषा इस विश्वविद्यालय की विभिन्न सांस्तिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और बनी हुई है, जो न केवल इसके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दिखाइ देती है, बल्कि इसका प्रभाव इसके नाम इसके लोगो, और इसके अधिकारियों की उपाधियों, इत्यादि में भी स्पष्ट है।

हमें गर्व है कि इस विश्वविद्यालय को हमेशा ऐसे अध्यापक मिले जिन्होंने अपनी शिक्षण सेवाओं, अपने शोध, अपने वैज्ञानिक और साहित्यिक कार्यों और विशेष रूप से अपनी अनुवादित पुस्तकों के माध्यम से अरबी भाषा को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। कई वैज्ञानिक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार की हैं, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं।

अरबी भाषा के अधिकांश छात्र भारत के अंदर और बाहर सम्मानजनक नौकरियां प्राप्त करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति के साथ भारत में नौकरी के अवसर बढ़े हैं। नौकरियाँ केवल शिक्षण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें हमारे अरबी भाषा विभाग के स्नातक काम करते हैं।

हमें खुशी है कि कई छात्र भारत में दूतावासों, अंतरराष्ट्रीय और निजी कंपनियों, अनुसंधान केंद्रों, टेलीफोन कॉल सेंटरों, ऑल इंडिया रेडियो और गृह मंत्रालय के केंद्रीय नियंत्रण विभाग में अनुवादक के रूप में काम करते हैं। मेडिकल टूरिज़्म ने अब भारत में नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान किए हैं, और सैकड़ों छात्र बड़े शहरों, खासकर दिल्ली और इसके आसपास स्थित कई अस्पतालों में काम करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे विभाग के दो स्नातक सीरिया और चाड में राजदूत हैं।

*अध्यक्ष, अरबी विभाग

हिंदी की व्यापकता और विस्तार

प्रो. चन्द्रदेव यादव*

भारत में लगभग 19500 भाषाएँ बोली जाती हैं। उनमें हिंदी और उसकी बोलियाँ भारत के प्रायः सभी राज्यों में बोली जाती हैं। मंदारिन (चीनी) के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है।यह अपने को लगातार समृद्ध करती रहती है। इसीलिए यह हमेशा युगानुरूप अपने स्वरूप को किंचित बदलती रहती है। कबीर का 'भाखा बहता नीर' हिंदी पर पूरी तरह लागू होता है। वास्तव में हिंदी एक समावेशी भाषा है।

हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी नामक तीन अपभ्रंशों से हुई है। इसकी पाँच उपभाषाएं और दकनी हिंदी को मिलाकर उन्नीस बोलियाँ हैं। यद्यपि हिंदी प्रदेश से बाहर इसकी और भी अनेक शैलियाँ हैं, किन्तु भारत में हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तक सीमित है। इसकी अधिकांश शब्दावली संस्त से गृहीत है। संस्त के बाद इसमें सर्वाधिक शब्द अरबी और फारसी के हैं। अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली सहित दुनिया की अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। हिंदी ने भारतीय भाषाओं से भी बहुत से शब्द ग्रहण किए हैं। वास्तव में विश्व के तमाम देशों के साथ भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। इस वजह से सदियों से भारतीयों का संपर्क शेष दुनिया से रहा है। वर्तमान दौर में दुनिया से भारतीयों के संबंधों में तेजी से विस्तार हुआ है। हिंदी भले ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा न बन पाई हो, किन्तु यह राजनैतिक हितों की भाषा है। और तो और यह राष्ट्रभाषा के साथ–साथ भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक भाषा भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में इसे भारत की राजभाषा का सम्मान दिया गया है। हिंदी का एक रूप यह भी है। प्रशासनिक हिंदी अथवा प्रयोजनमूलक हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा है।यह सामान्य भाषा से बिलकुल भिन्न है, यह अलग बात है कि इसका व्याकरणिक ढाँचा हिंदी के और रूपों से भिन्न नहीं है। इसकी अपनी शब्दावली है। कर, अनुसूचित, अधिनियम, सत्ता, दुष्प्रेरण, स्थगन, संविदा, कार्यसूची, आबंटन आदि इसी तरह के शब्द हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास के कारण हिंदी का तेजी से विकास हुआ है। हिंदी में बड़ी तादाद में उसकी शब्दावली सम्मिलित हुई है। इसके लिए पारिभाषिक कोष बनाए जा चुके हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए 1960 में एक आयोग का गठन किया जा चुका है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली सामान्य भाषा से बिलकुल भिन्न होती है, जैसे अग्निनाश, अतिलोम, अतिजिह्विका, अध्यस्थि आदि पारिभाषिक शब्द आयुर्विज्ञान विषय से संबंधित हैं। योग द्वारा हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तक–निर्माण योजना भी बन चुकी है।

हिंदी आज के भारतीय मीडिया की प्रमुख भाषा बन गई है। फिल्म और धारावाहिक, पत्रकारिता, अन्य सूचना माध्यम, न्यू मीडिया और सोशल मीडिया में हिंदी का वर्चस्व है।यानी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी की बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में हिंदी वैश्विक भाषा बन चुकी है। दुनिया के लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढाई जाती है। भारत के अलावा भौगोलिक ष्टि से हिंदी मॉरीशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा नेपाल तक इसका विस्तार है। इसके अलावा विश्व के 132 देशों में जहाँ भारतीय रहते हैं वे हिंदी बोलते हैं और अपने कार्य का निष्पादन हिंदी में करते हैं। इस तरह आठवीं या दसवीं शताब्दी में अस्तित्व में आई हिंदी हजार–बारह सौ वर्षों से सामान्य और विशिष्ट लोगों की भाषा बनी हुई है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान यह राष्ट्रीय संघर्ष और देशवासियों के सपनों की भाषा बन गई थी। इस तरह हिंदी जीवंत, गतिशील और सतत प्रवहमान व्यापक जनसमूह की भाषा बनी हुई है।

खड़ीबोली हिंदी के पहले प्रयोक्ता अमीर खुसरो हैं। यह दिल्ली और हरियाणा के बीच बोली जाने वाली वह कौरवी या बाँगरू बोली है जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में 'खड़ीबोली' कहा गया। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि बाँगरू से हिंदी और उर्दू नामक दो भाषाओं का जन्म हुआ। इसे इस तरह भी कहा जाता है कि खड़ीबोली की दो शैलियाँ हैं–खड़ीबोली हिंदी और खड़ीबोली उर्दू। इन दो शैलियों से एक तीसरी भाषा भी अस्तित्व में आई, जिसे हिन्दुस्तानी कहा जाता है। महात्मा गाँधी इसी हिन्दुस्तानी का प्रयोग करते थे।

जनभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। यह हिंदी भारतीय सभ्यता, संसति और आधुनिक युग की वैश्विक संसति को जोड़ने के लिए एक सेतु काम करती है। आज हिंदी में प्रशिक्षण, ई–अधिगम (ई–लर्निंग), कंप्यूटर, ई–मेल आदि की सुविधा मौजूद है। निस्संदेह हिंदी आज की ही नहीं, बल्कि व्यापक जनसमूह के भविष्य की भाषा है। हिंदी का लगातार विस्तार होता जा रहा है।

*अध्यक्ष, हिंदी विभाग

जीवन के सूत्र

– इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं जरूरी ये है की आप रुके नहीं।

– जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये महसूस करना है की हम है भले ही दर्द में हैं लेकिन हैं।

– कभी भी मुस्कुराना बंद न करें, भले ही आप दुखी हों, हो सकता हैं की आपकी मुस्कुराहट दूसरो की खुशी का कारण हो।

– वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है ताकी वो हीरे की तरह चमक सके।

– खुद को इतना बेहतर बनाओ की दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे।

– सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है।

– विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जो जानते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पाते।

– अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखने का मूल्य यह नहीं है कि आपको उनसे क्या मिलेगा, बल्कि यह है कि आप उनकी वजह से कितने अच्छे इंसान बन जाओगे ।

– वर्क–लाइफ बैलेंस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना जरूरी है।

– जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो याद रखें कि हर चुनौती हर मुसीबत में अवसर और विकास के बीज आपके लिए एक मौका होता हैं।

– जिंदगी तब खूबसूरत हो जाती है, जब यह पता चलता है कि लोग आपसे मिलकर कितने खुश हैं।

– जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अपनों के बिना सूनी ही लगती है।

– सोच सकारात्मक हो, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है।

– दुनिया इतनी मतलबी न होती, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती।

– जिंदगी की यही खूबसूरती है कि यह हर रोज नए–नए रंग दिखाती है।

– जो जिंदगी को हंसकर जीते हैं, उनकी दुनिया अक्सर खूबसूरत हो जाती है।

– जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नफरत देकर नहीं, प्यार देकर गुजारेंगे, तो खूबसूरत हो जाएगी।

– जिस दिन ज्यादा सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी।

– बस खुश रहना सीख लीजिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी।

– जिंदगी एक खूबसूरत जाल है, जितना सकारात्मक रहोगे उतनी सुलझती जाएगी।

– जिनका दिल, चेहरे से ज्यादा खूबसूरत होता है, उनके लिए जिंदगी बेहद आसान होती है।

– सादगी से जीने वालों के लिए यह जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है।

– यह जिंदगी हर दिन आपको एक खूबसूरत तोहफा देती है जिसे कल कहते हैं।

– ध्यान से देखो तो जिंदगी खूबसूरत है, न देखो सिर्फ जरूरत है।

– जिंदगी में अगर अच्छे दोस्त हों, तो इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता।

– दिल में बसा लोगे भगवान की सूरत, तो जिंदगी हो जाएगी बेहद खूबसूरत।

– खूबसूरत यादों को जीने के लिए जिंदगी उम्र की मोहताज नहीं होती।

– आज ऐसी नजरें किसी के पास नहीं हैं, जो दुनिया की खूबसूरती देख सकें।

– सपने टूट जाए, तो निराश न हो, जिंदगी खूबसूरत है यूं उदास न हो।

गंगा–एक वरदान

मुशर्रफ़ हुसैन*

भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेकता में भी एकता है। यहाँ भिन्न–भिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। उनके धर्म भी अलग–अलग हैं। उनका पहनावा–वेशभूषा भी भिन्न–भिन्न है फिर वो भारतवर्ष कहलवाना अच्छा लगता है।

प्रकृति ने भारत को अपने खज़ाने से अनमोल चीज़ें प्रदान की हैं। हमारे देश में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। भारत तथा गंगा का इतिहास बहुत पुराना है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है:–

होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है।
हम उस दिन के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है।।

गंगा को भारतीय परंपरा, जीवन और संस्कृति का केन्द्रीय हिस्सा माना जाता है। यह भारत की चार नदियों में शामिल ये चार नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा नदी में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। गंगोत्री हिमालय से निकलकर इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। यह नदी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कई राज्यों से होकर गुज़रती है। यह नदी जहाँ–जहाँ से गुज़रती है। लोगों को जीवन प्रदान करती है। भारत के लोग इसे माँ के रूप में पूजते हैं और इसके जल को पवित्र मानते हैं। गंगा जल के बिना कोई पूजा सम्पन्न नहीं होती है। आज हम सब भारतवासी कहने को मजबूर हो जाते हैं कि

गंगा मेरी माँ का नाम
बाप का नाम हिमालय
अब तुम खुद ही फैसला
कर लो मैं किस देश का वाला

गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत के एक चौथाई भाग से अधिक भाग में फैली है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करती है। गंगा नदी को अनेकों नाम से जाना जाता है। शुरू में इसका नाम भागीरथी था। इसका उद्‌गम गढ़वाल में गंगोत्री नाम हिमनद से होता है। गंगा नदी 8,38,200 वर्ग किलोमीटर की घाटी का निर्माण करती है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का क्षेत्रफल 51,306 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लम्बाई 2510 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी लम्बाई 2071 किलोमीटर है। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 95160 वर्ग किलोमीटर है। गंगा जहाँ से निकल गई है उस स्थान का मानचित्र बदल गया है।

गंगा हिन्दू धर्म में एक पवित्र नदी है। गंगा को देवी और नदी माना जाता है तथा इसकी पूजा की जाती है। इसका जल लाभप्रद है। नदी का जल सिंचाई में उपयोग किया जाता है, इसके जल से अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है। हिन्दू तथा विदेशी भी इसके मूल्य को महसूस करते हैं। महिलाओं की दृष्टि में गंगा एक देवी के समान है, उनकी भावना है

गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे
मेरे सजना तेरी ज़िंदगानी रहे।

गंगा भारत में एक राष्ट्रीय जलमार्ग भी है इससे हरिद्वार तक पहुँचा जा सकता है। गंगा के सबसे अच्छे हैं क्योंकि ये संचार तथा परिवहन के लिए उपयोगी है। गंगा के किनारे वर्ष भर मेले लगते हैं, चहल–पहल रहती है।

गंगा नदी के तट पर वैदिक आचार्यो से गुजराती आश्रम पनपे व आर्यों के बड़े–बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। व्यास और बाल्मीकि के महाकाव्यों से कालीदास और तुलसी की कविताओं से अनुप्राणी गंगा से पौराणिक साहित्य भी भंडार की तरह जुड़ा है।

गंगा नदी भारतवासियों के प्रकृति का अनमोल रत्न है। अगर गंगा नदी नहीं होती तो भारत एक कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाती और गंगा के किनारे बसे जो नगर तथा महानगर बसे हैं वो देश तथा विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र है। स्व. हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कवि प्रदीप जी ने गंगा नदी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है :

सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा
भारत के लिये भगवान का एक वरदान है गंगा
गिरीराज हिमालय की बेटी महान है गंगा
इस धरती के बेटों पर अहसान है गंगा
गंगा ही हिन्दुस्तान है, हिन्दुस्तान है गंगा
सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा
हैं कोटि–कोटि देवों के मन्दिर इसके किनारे
मंगल ध्वनियाँ होती हैं जहाँ सांझ सवेरे
जुग–जुग इस माता ने हमारे भाग्य संवारे
ये जहाँ गई बन गये वही पर तीरथ प्यारे।

*एलडीसी, स्कूल अनुभाग, जामिइ

जब मैं दिल्ली शहर में आया

मौहम्मद शकील अहमद ख़ान*

मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक छोटे से गाँव काश्त खैरा में एक किसान परिवार में हुआ। हमारी तीन बहनें और उन बहनों में से इकलौता भाई था जो कि हमारे लिए गाँव को छोड़कर दिल्ली शहर में आना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हमारे पिता जी का खेतीबाड़ी के अलावा और कोई कमाई का स्रोत नहीं था।

इसलिए घर का सारा बोझ हमारे पिता जी के लिए बहुत भारी लगने लगा फिर हमने सोचा कि क्यों न हम भी शहर की तरफ अपने रोज़गार की तलाश में निकलें। घर का खर्चा दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। फिर हमने अपने मन में ठान लिया कि अब हम रोज़गार के लिए दिल्ली शहर अवश्य जाएँगे। फिर हमने अपने माता–पिता से अनुमति माँगी कि हमें दिल्ली शहर जाने की अनुमति प्रदान करें। बात है सन् 2010 की जब मैं स्नातक की परीक्षा पास कर चुका था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली शहर के ओखला गाँव में आया फिर मैं रोज़गार की तलाश में इधर–उधर भटकता रहा। क्योंकि दिल्ली में मेरा कोई और जानने पहचानने वाले नहीं थे।

फिर दो–तीन महीने के बाद मुझे एक दैनिक अख़बार में एलडीसी की नौकरी मिल गई और मैंने उस नौकरी के भीतर कम्प्यूटर भी ऑपरेट करना सीख गया फिर मुझे नौकरी में बहुत आनन्द आने लगा क्योंकि मुझे महीने के आखिरी दिन को सैलरी मिल जाती थी और उस पैसे को अपने माता–पिता के पास भेज देता था और पैसों को घर वालों को जब प्राप्त हो जाता था सब बहुत ही उत्सुक हेा जाते थे, फिर नौकरी के साथ–साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहा और मैंने जामिया से ही प्राइवेट में एम.ए. में दाखिल ले लिया और नौकरी के साथ–साथ हमने एम.ए. भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उत्तीर्ण कर लिया, फिर हमारी जामिया में कई सारे दोस्त भी बन चुके थे।

और हमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माहौल बहुत ही अच्छा लगा फिर हमने दोस्तों से बोला कि अगर जामिया में भर्ती निकले तो आप हमें ज़रूर बताएं क्योंकि हमें जामिया मिल्लिया के कर्मचारी बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि जब भी हम पढ़ाई के दौरान जामिया आया करते थे हमारी यहाँ के कर्मचारियों से बातें होती रहती थीं।

और हमने भी अपने मन में ठान लिया कि अब हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नौकरी पाकर के मानेंगे। उसी दौरान जामिया के एक साथी ने हमें फोन पर ही बताया कि जामिया में गैर शिक्षा विभाग की बहुत सारी भर्तियाँ निकली हैं और आप ज़रूर अप्लाई करें। फिर मैंने सोचा कि अब इससे सुनहरा अवसर कब मिलेगा?मैंने फौरन अपने साथी से कहा कि – मैं आपसे मिलने कल आता हूँ। फिर जामिया के हमारे साथी ने फार्म प्रदान किया और हमने फार्म भरने के बाद अपनी पढ़ाई–लिखाई पर ज़ोर देने लगा। हमने सोच किया था कि जामिया से अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती और दिन–प्रतिदिन हमारे ऊपर भी घर का बोझ बढ़ता जा रहा था चूंकि घर की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बढ़ रही थी क्योंकि हमारी बहनें भी व्यस्क हो गई थी उनकी शादी की भी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई थी। इसी दौरान फार्म भरने के चार पाँच माह हुए होंगे कि जामिया एक पत्र हमें प्राप्त हुआ कि आपका टाइपिंग टेस्ट इस दिनांक को है। पत्र पाने के बाद मैं बहुत ही उत्साहित था कि मानो कि मुझे क्या मिल गया हो और मैंने अपने टाइपिंग की तैयारी आरम्भ कर दी और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि मैं टाइपिंग टेस्ट पास कर गया।

फिर मुझे एक उम्मीद सी हो गई कि हमें टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और हमने पढ़ाई जारी रखा। एक सप्ताह के बाद हमें पत्र प्राप्त होता है कि आपकी लिखित परीक्ष्ज्ञा इस दिनांक को है और हमने लिखित परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया और हमारे पास जामिया से कॉल आती है कि आप का सेलेक्शन एलडीसी में हो गया है तो फिर मैं बहुत ही उत्साहित हुआ कि मानो हमें क्या मिल गया हो।

इस प्रकार से हम एक गाँव से निकल कर शहर की तरफ आए और हमें इस शहर में आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और रोज़गार का अवसर प्राप्त हुआ और आज हम इतने बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी करने का अपने आप को गौरान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऊपर वाले की बहुत कृपा है।

*एलडीसी, लेखा अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय

राजभाषा अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम संख्यांक 19) (10 मई, 1963)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार,

केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3 जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख/को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना– (1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए यह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी, तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगीः

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ–साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगाः

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय

*साभारः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार वेबसाइट

के बीचय प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही–

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागजपत्रों के लिए

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा–प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएंगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।,

4. राजभाषा के संबंध में समिति–

(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त

किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगाः

'परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।'

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधित हिन्दी अनुवाद– (1) नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित–

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा?

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधित पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधित पाठ के साथ–साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधित किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधित हिन्दी अनुवाद– जहां किसी राज्य के विधान–मंडल ने उस राज्य के विधान–मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधित पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग– नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधित कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ– साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कतिपय उपबंधों का जम्मू–कश्मीर को लागू न होना,– जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं. का.आ. 1123(अ), तारीख 18–3–2020, तथा लद्दाख पुनर्गठन (केन्द्री य विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं. का.आ. 3774(अ) तारीख 23–10–2020, द्वारा लोप किया गया।

रिपोर्ताजः एक एहसास

मौ. अमीनुल हसन*

सैंकड़ों गाड़ियाँ अपने रफ्तार से दौड़ रहीं थीं। गाड़ियों के सायरन और हवा की सरसराहट की आवाज कानों में गूँज रही थी। हल्की–हल्की बारिश और हर तरफ दौड़ती गाड़ी और चारों तरफ फैली हरियाली भोपाल–इंदौर एक्सप्रेस वे की खूबसूरती बढ़ा रही थी।

मेरा मित्र भी बिल्कुल मौसम के अनुसार अपनी बाइक दौड़ा रहा था। मैं पीछे बैठा तमाम गुजरते हुए मनमोहक श्य को अपने नैनों के द्वारा मानसिक पटल पर संजो रहा था। कुछ श्यों को अपने मोबाइल के कमरे में कैद कर रहा था। हर दृश्य नज़र के सामने से गुजर रहा था और इन गुजरते श्यों के साथ मंजिल के फ़ासले भी कम हो रहे थे।

फिर एकाएक मित्र अपने बाइक के हैंडल को छोड़कर अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है कि वह सामने जंगल और पहाड़ दिख रहा है न, वही है भीमबेटका। मैंने भी थोड़ी चुटकी ली और कहा यह तो हमारे यहाँ के मंदार हिल के जैसा है। मित्र ने अपने चेहरे पर निराशा और मुस्कुराहट के भाव के मिश्रण के साथ कहा अभी चलिए न फिर देखिए कितना बेहतरीन और कैसा है हमारे पूर्वजों का आश्रय स्थल।

इस बातचीत के दौरान हमारी बाइक एक्सप्रेस वे को छोड़कर भीमबेटका के मेन रास्ते पर पहुँच गई। अभी 200 मीटर आगे गए ही होंगे कि सामने रेलवे क्रॉसिंग नज़र आता है जिसका बैरियर लगा हुआ था। मेरे मन में फिर थोड़ी–सी उदासी हुई क्योंकि मेरी आंतरिक आत्मा जल्दी से रॉक सेल्टर्स के दर्शन करना चाहती थी। फिर मैं उन बैरियर के आसपास खड़े लोगों और आसपास के नजारे को देखने में शामिल हो गया। ट्रेन आई और चली भी गई। इस तरह मुझे श्य में खो जाने पर मित्र ने टोका कि अभी से ही पागल हो गए देखकर।

मैंने बात को टालते हुए मुस्कुराते हुए कहा तुम कुछ बोलो ही मत, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ से चट्टान और झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर अचानक मुझे एक और बैरियर दिखा। मैं चौंका, सवाल तो जायज था। सो मैंने मित्र से पूछा अब यह क्या है यार?तो मित्र ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया कि फ्री में जाएगा क्या?टिकट तो लेना होगा न। मैं इसी कसमकस में था कि कितने रुपए की टिकट हैं तब तक हम लोग बैरियर के पास पहुँच चुके थे। फिर टिकट काउंटर पर गया तो वहां बैठी 35 साल उम्र की महिला ने गाड़ी नंबर पूछा तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने 50 रुपए माँगे और रसीद मेरे हाथ में थमा दिया तो देखा दरअसल वह टिकट बाइक पार्किंग का है।

आदिमानव के घरों को देखने के लिए आधुनिक मानव को कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। मैं फिर मित्र की ओर मुखातिब हुआ और कहा गाड़ी लगाओ, चलो अब चलते हैं। फिर मित्र ज़ोर से ठहाका मारकर हँसा और उनके हँसी को देखकर मैंने भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए पूछा क्या हुआ?

तो बगल में खड़े एक बुजुर्ग जो हमारी बात सुनकर हँस रहा था उसने अपना मुँह खोला और कहा बेटा यह जंगल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। जहाँ तुमको जाना है वह बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसलिए गाड़ी वहीं तक जाती है।

मैं बाइक पर सवार हो गया और दोबारा से आगे की और निकल पड़े। यहाँ से सड़क ऊपर की ओर जा रही थी। ऊपर जाती हुई सड़क के दोनों तरफ फैली घनी झाड़ियाँ और अलग–अलग आति के बड़े–बड़े चट्टान और हमारी खुशकिस्मती की हल्की–हल्की बारिश और नरम हवा के झोंके मौसम का हर कदम खूबसूरती बढ़ा रही थी। कहीं लाल पत्थर, कहीं काले पत्थर ऐसा लग रहा था मानो किसी बेहद खूबसूरत बागान का सैर कर रहे हों।

सचमुच जब प्रति के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, उसे अपने रंग में रंगने दिया जाता है, उसे अपने रूप में ढलने दिया

जाता है तो वह कितना मनमोहक होती है। हम मानवों को कितना आंतरिक सुख देती है यह प्रकृति। ढलान और ऊपर की तरफ जा रही थी। भीमबेटका के बेहद करीब थे अब हम। इस मनमोहन रास्ते से गुजरते हुए पहुँच चुके थे, बाइक पार्किंग में लगाया गया।

हम मुख्य दर्शन स्थल की तरफ बढ़े। सबसे पहले घूमने के लिए टूरिस्ट द्वारा सुविधा के लिए मार्ग मानचित्र बनाया गया था। हम वह देखते हुए दूसरे सिलापट्ट की तरफ बढ़े जहाँ भीमबेटका के इतिहास का बेहतरीन वर्णन था जिसमें संक्षिप्त में विस्तृत इतिहास लिखा था जिसके अनुसार भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। यह एक रॉक शेल्टर्स है जो पूरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह लगभग 30000 साल पुराना है। यहाँ 600 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स हैं और उनमें से 275 रॉक शेल्टर्स पर प्राचीनतम चित्रकार बनी हुई है। यह चित्रकारी लगभग 12000 साल पुरानी है। इस स्थल की खोज 1958 में डॉक्टर वाकणकार ने किया। 1990 में राष्ट्रीय महत्व और 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया ।

इन सब जानकारियों को समेटे हुए मैं पैदल पथ पर चलते हुए आगे बढ़ गया। अब ऊँची–ऊँची चट्टानें हमारी आँखों के साथ आँख मिचौली खेल रही थीं। मानों पेड़ों की डालियाँ झूम–झूम कर आधुनिक मानव का इस आदिमानव के बसेरे में स्वागत कर रही हो। मैंने मन ही मन अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ा ।

अब मैं पहुँच चुका था। शेल्टर सामने की तरफ खड़ी चार ऊँची चट्टानें और उनके बीच बना गुफा मानो तराश कर बनाया गया हो। सबसे पहले चट्टान की तराई में बनी चित्रकारी बेहद ही सुंदर थी जो लगभग 12000 साल के बाद भी उसी रूप में मौजूद थी। आगे बढ़ा तो रमेश मिला जो वहाँ का गार्डनर था।

बारिश की वजह से घुमक्कड़ों की तादाद कम थी और पक्षियों की चहचहाट, बारिश की बूँद के गिरने की आवाज हर तरफ अपनी शोर बिखेर रही थी। कुल मिलाकर यहां पर सिर्फ प्रति थी, कुछ भी बनावटी और मिलावटी नहीं था।

मानचित्र के अनुसार आगे बढ़ा और खड़े चट्टानों, चट्टान से बने गुफा की दीवार पर बनी चित्रकारी हमें मानव विकास की कथा सुन रहा थी। हैरत तो तब हुई जब एक साथ एक शेल्टर दो मंजिला इमारत सा दिखा और उसके दोनों छत पर आदिमानव द्वारा चित्रकारी किया हुआ था। अब तमाम चित्रों को देखते, समझते, महसूस करते हुए चट्टानों और गुफा से घिरे आश्रय स्थल के मध्य में पहुँच चुका था।

जहाँ एक ऊँचा पहाड़ पर बैठे कछुए की आति का चट्टान था और वहाँ से ऐसा लगता है मानो पूरे कबीले की निगरानी की जाती हो। मैंने मित्र से ऊपर चढ़ने की इच्छा जताई और मित्र के सहयोग से ऊपर जा पहुँचा।

यहाँ से क्या नजारा दिख रहा था मानो मेरी नजर में आज चार दिन बाद भी वैसे ही घूम रहा है। कितनी अजीब यात्रा है, मानव का आदिमानव से आधुनिक मानव बनने की।

आज के दौर में जिस तरीके से हम अपने जीवन चक्र की यात्राओं को छायाचित्रों के रूप में संजोकर रखने हैं उसी प्रकार आज से 30000 साल पहले के मानव विकास को कितने सुनियोजित तरीके से हमारे पूर्वजों ने अपनी चित्रकारी की मदद से पत्थरों पर उखेर कर रखा था।

सचमुच वह बेहद ही खूबसूरत था रॉक पेंटिंग। मैं मानव विकास की यात्रा समझने की कोशिश कर रहा था। कई पशुओं की चित्रकारी थी, कहीं पशुओं पर सवार मानव, कहीं मानव के झुंडों के साथ पशु, कहीं पशुओं, हथियार भाले लिए मानव, कहीं आदान–प्रदान को दिखाने की कोशिश।

कहीं गेंडा, हाथी, कहीं जानवरों का शिकार करता हुआ मानव, कहीं बच्चों के साथ महिलाएँ। इन सब रॉक पेंटिंग्स के द्वारा हमारे पूर्वजों ने अपनी यात्रा, अपना जीवन चक्र और विकास दिखाने की कोशिश की थी। जो बेहद मार्मिक और मनमोहन था। वहाँ से घूमते–घूमते वहाँ की चित्रकारी देखते–देखते मैं खुद 3000 साल पहले चला गया था और तमाम चीजों को समझ रहा था। फिर अचानक मेरे कान में एक आवाज टकराई। मैं चौंक गया। आवाज़ मेरे मित्र की थी। वह कह रहा था, कहाँ हैं आप? मैं भी मुस्कुरा कर जवाब में चिल्लाया... पूर्वजों के घर में.....

जीत

वजाहतउल्लाह ख़ान*

हर व्यक्ति के जीवन में सुख–दुख के अनेक ऐसे पल आते हैं, जिसकी याद को कभी भूलाया नहीं जा पाता। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पल व्यक्ति की धरोहर की तरह होते हैं। आयु के अन्तिम वर्षों में ये पल उसको याद आते हैं और इन पलों को याद करके उस समय में भी व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है।

मेरे जीवन में बहुत से ऐसे यादगार लम्हें हैं, जिनको मैं कभी भुला नहीं सकता। ऐसे ही एक यादगार यात्रा या यूं कहें कि मेरे प्रिय खेल क्रिकेट को लेकर है जिसको मैं अपने शब्दों में काग़ज़ पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ।

जामिया में नियुक्ति के बाद हमने एक टीम का गठन किया जिसमें कई खेलों की प्रतियोगिताएं की जा सकें। ऐसी ही एक प्रतियोगिता क्रिकेट की होती है जो कि वाइस चांसलर क्रिकेट प्रतियोगिता कहलाती है। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर की होती है और इसमें देश के सभी क्षेत्रों से विश्वविद्यालयों के कर्मियों की टीमें भाग लेती हैं।

ये वर्ष 2004 की प्रतियोगिता थी जो जयपुर विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय में कराई थी। जामिया मिल्लिया की कर्मचारी क्रिकेट टीम इसमें भाग लेने के लिये जयपुर पहुँची और अपनी तैयारी प्रारम्भ की। इस प्रतियोगिता में कुछ ऐसे क्लब भी आमंत्रित किए गए थे, जिनमें कि प्रोफेशनल खिलाड़ी भी खेल रहे थे–जो भी मैच हार जाता, वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाता। इसलिये हम डर रहे थे कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों के सामने कैसे जीत पायेंगे। एक तो हम सभी कर्मचारी कार्य के साथ–साथ खेल को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिये हमारी टीम उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में सबसे अधिक कमज़ोर थी।

लेकिन कहा जाता है कि होता वही है जो तक़दीर में लिखा हो–हमने खेलना प्रारंभ किया और एक के बाद एक मैच जीतने लगे। हमारी टीम तीन मैच जीत चुकी थी और फाइनल में प्रवेश कर गई।

फाइनल मैच में हमारा मुकाबला दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ। इस मैच को जीतकर हमने पहली बार वाइस चांसलर क्रिकेट प्रतियोगिता जीत ली।

सभी टीमों ने और स्थानीय लोगों ने हमारी भरपूर प्रशंसा की कि प्रोफ़ेशनल खिलाड़ी न होते हुए भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की टीम विजयी हुई।

मुझे ये दिन सदैव स्मरण रहेगा विजयश्री के लिये भी और इसलिये भी कि इस टीम का कप्तान मैं ही था।

इस दिन मुझे स्वयं पर और टीम पर ये विश्वास हो गया कि हम अगर प्रयत्न करें तो सफलता प्राप्त हो सकती है।

उस विजयश्री के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया की टीम सदैव ही उच्च पायदान पर रही और हमने 18 प्रतियोगिताओं में से 5 में विजयश्री प्राप्त की तथा 5 बार दूसरे स्थान पर रहें।

जीत के पहले पत्र हमारे आत्मविश्वास को इतना ऊँचा उठा गये कि आज आयु में हमारी टीम सबसे बड़ी होने पर भी सभी टीमों को टक्कर देती आ रही जिनमें सभी खिलाड़ियों की आयु हमारी आयु से बहुत कम होती है।

मेरी ज़िन्दगी में वह पल सदैव मुझे याद रहेगा क्योंकि उस आत्मविश्वास ने हमारे भीतर अलग ही तरह की ऊर्जा का काम किया।

ये प्रतियोगिता इस बार दिसम्बर में नागपुर विश्वविद्यालय में होने वाली है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बार भी हमें सफलता प्राप्त हो।

---

* निजी सहायक, जवाहरलाल नेहरु अध्ययन केंद्र

यादें

डॉ. मो. नूरूल इस्लाम*

जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिन्दुस्तान की चन्द मशहूर विश्वविद्यालयों में एक है। जिसमें पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। मैं जब दिल्ली में आया सन् 1998 में इग्नू से बीसीए कर रहा था। मुझे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना बहुत पसन्द था। जामिया का छात्र न होते हुए भी मैंने पूरे पाँच साल बीसीए एवं एमसीए में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाया। यहाँ तक कि कई बार लाइब्रेरी में चैकिंग भी होती थी लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था अतः किसी भी चेक करने वाले को यह शक नहीं होता कि वे मुझे चेक करते कि मैं जामिया का छात्र हूँ या नहीं। जून, 2003 में जब मेरी एमसीए की परीक्षा संपन्न हो गई तो जामिया कैंटीन पर मुझे पता चला कि जामिया के एफटीके–सीआईटी में कम्प्यूटर की कुछ रिक्तियाँ हैं। जिसमें कम्प्यूटर की योग्यता की आवश्यकता है। जिस दिन हमें पता चला उसी दिन 4 बजे तक का फार्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। हम लोगों ने अपना फार्म जमा किया फिर डाटा एन्ट्री का टेस्ट हुआ और मुझे इस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एफटीके–सीआईटी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 26 दिसंबर 2005 को मैं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुआ। विश्वविद्यालय उस समय अपने सभी कार्यों को कम्प्यूटराइज कर रहा था। मुझे भी अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह वह समय था जब अधिकतर अधिकारी कम्प्यूटर से अवगत नहीं थे। उन्हें माउस को पकड़ना भी एक बड़ा कार्य था। लेकिन सीआईटी के निरंतर प्रयास से सभी अधिकारियों को बार–बार ट्रेनिंग प्रदान किया गया। आज एमआईएस (मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम) इस विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी बन गया है जिसके बगैर कुछ पल भी कार्य करना संभव नहीं। किसी भी संस्था की सफलता में उस संस्था के सभी कार्यरत अधिकारियों का हाथ होता है। एफटीके–सीआईटी के सभी टेक्निकल अधिकारी ने बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन किया है। उच्च अधिकारियों का भी सहयोग भरपूर रहा हैं आज बहुत से विश्वविद्यालय अपने कार्यों को कम्प्यूटराइज करने की सोच रहे हैं। जब कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यह कार्य आज से दो दशक पहले कर चुका है। 2011 से फाइल ट्रेकिंग सिस्टम को बेस्ट ज्यूरी एवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

आज एमआईएस विश्वविद्यालय के अधिकतर कार्यों को सहयोग देता है चाहे वह छात्र एडमिशन हो, फीस से जुड़ा हुआ हो, पहचान पत्र हो, क्लास एडमिशन स्लिप या छात्र से जुड़े चरित्र प्रमाण–पत्र हो या माइग्रेशन प्रमाण–पत्र हो। रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकतर कार्य भी एमआईएस के अधीन हो गया है। जिसमें अधिकारी की प्रोफाइल से लेकर रिटायरमेंट तक की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

मैंने हमेशा अपने सहयोग को प्राथमिकता दी है। जामिया हमारे लिए क्या मायने रखती है वह मैं अपने चन्द पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वजूद कब हुआ। इसका क्या उद्देश्य है? इसके संस्थापक कौन और कैसे लोग थे। इसका अर्थ क्या है।

डॉ. ज़ाकिर हुसैन साहब ने जब जामिया के मोटो (लोगो) को विस्तार किया तो वहाँ के जामिया का उद्देश्य ऐसा है जब कोई मुसाफिर अंधेरी रात में अपना रास्ता भटक जाता है तो वह सितारों की मदद से अपना रास्ता बनाता है कि उसे किस राह पर चलना है। जामिया का यह सितारा हमें वही राह बताने का कार्य करता है। फिर हमने कुरान के बताए हुए रास्ते को चुना।

चन्द पंक्तियाँ जो मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में सोचा।

तहरीक आज़ादी की एक मिसाल जामिया
तरक्की पे गमज़न है सौ साल जामिया
पामाल हक़ पे उठाता रहा है सवाल जामिया
गोया के हर शोबे में है बेमिसाल जामिया
मुख़ालिस के फ़िकरों फ़न का इनआम जामिया
तेरी मोहब्बतों को सलाम जामिया।

*कम्प्यूटर ऑपरेटर, एफटीके–सीआईटी

परदेस

अनुपम आनन्द*

की करै छि परदेस रहि क
जब एत' नै हमरा म'न लगै छै,
माय हमर होति असगर बैसलि
मोखा दुआर घर सून लगय छै,
की करै छि परदेस रहि क
जब एत' नै हमरा मन लगै छै...

गाम समाज भू'ल गेलैन सब
हमहुँ ओहि माटिक बेटा छि,
प्रश्न उठल की उत्तर देबैन
बिहारी–बिहारी सब गा'र सुनै छि,
की करै छि एहि देस रहि क
जब एत' नै हमरा चौन भेटै छै,
की करय छि परदेस रहि क....

संगी–साथी तैज देलौं सब
पहिचान की हमर रहि गेल ,
माछ–मरूआ आ मखान छो'ड़ क'
गर्दा–माटी सँ' भरय छि पेट
की करय छि दुर देस रहि क
जों माय बाप बेजार कनै छै,
की करय छि परदेस रहि क
जब एत' नै हमरा मन लगय छै...

कहय छथिन स्वतन्त्र भेल छि
कोना हमर समाज बुरि गेल,
रोजी–रोटी ल' बन खटय छि
गामक–गाम उजाड़ भ' गेल,
एतेक सोचौ छि अनकर देस रहि क
जब माटि सबहक बाट तकै छै,
कि करय छि परदेस रहि क
जब एत' नै हमरा मन लगै छै...

*वरिष्ठ शोधार्थी, संस्कृत विभाग

भारतः विश्वगुरु

डॉ अंदलीब*

बंधुता के चौक पर, जाएंगी सब राहें मिल
जहाँ प्रेमत्व हो एकत्व हो, और हों सब नेकदिल।

समानता की ओर बढ़ें हम, रहे न कोई मनमुटाव
देखें सभी को हम एक समान, करें न कोई भेदभाव।

समता के संगीत की सरगम, बजे हर दिल में,
विविधताओं के सब रंग, मिल जाएँ इन्द्रधनुष में।

न्याय ही हो सबका आधार, और सब समृद्धि का सार,
हो ऐसा एक आदर्श समाज, जिसमें सबको मिले अधिकार।

गरिमामयी जीवन और गुणवत्ता शिक्षा का मिले अधिकार
उन्मुक्त गगन में हर किसी का, हो सके सपना साकार।

करें कोशिश तो मिल जाएँ, हमें गगन के सभी छोर
आओ चलें समानता स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की ओर।

इंसानियत की कायम कर दे, लाजवाब मिसाल,
बने भारत विश्वगुरु, और बने एक सशक्त राष्ट्र।

*सहायक प्राध्यापक,
शिक्षक प्रशिक्षण एवं निरौपचारिक शिक्षा विभाग, शिक्षा संकाय

ज़िंदगी

निशाद–उल–हक़*

ना चादर बडी कीजिये
न ख़्वाहिश दफ़न कीजिये
चार दिन की ज़िंदगी है,
बस चैन से बसर कीजिये
न परेशान किसी को कीजिये
न हैरान किसी को कीजिये
कोई लाख गलत भी बोले
बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिये
न रूठा किसी से कीजिये
न झूठा वादा किसी से कीजिये
कुछ फ़ुरसत के पल निकालिये
कभी खुद से भी मिला कीजिये

*यूडीसी,

हिंदी दिवस

हिंदी दिवस – 14 सितंबर

दरअसल इसी दिन संविधान सभा ने वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संबंध में तमाम बहस–मुहाबिसें हुईं। अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे। इनमें भी दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रमुख थे। उनका तर्क था कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और यदि इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो ये उनके साथ अन्याय सरीखा होगा। अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मध्यमार्ग अपनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, इसके साथ ही अंग्रेजी को भी राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया तब से ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

एक भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करें तो यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। एक भाषा के विकास में उस समाज और संसति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जहाँ पर ये बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में भी समाज और संसति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हैय खासकर उत्तर भारतीय राज्यों की भूमिका। भारत की प्राचीन भाषा संस्त रही है और इसी भाषा के विभिन्न काल खंडों में अलग–अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है।

संस्त भाषा से पालि, पालि से प्रात, प्रात से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है जिसे आज हम बोलते है। हालांकि इसे लेकर मतभेद है कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है या पुरानी हिंदी से। मगर वर्तमान भाषाविज्ञानी इसे अपभ्रंश से ही विकसित हुआ मानते है।

अगर हिंदी भाषा के विकास के कालखंड की बात करें तो यह तीन कालों में विकसित हुई– पहला कालखंड 1100 ईस्वी – 1350 ईस्वी का माना जाता है, इसे प्राचीन हिंदी का काल कहा जाता है। दूसरा कालखंड मध्य काल (1350 ईस्वी – 1850 ईस्वी) कहा जाता है। इस काल में हिंदी भाषा की बोलियों अवधी और ब्रज में विपुल साहित्य रचा गया। तीसरा कालखंड 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है और इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में हिंदी भाषा का स्वरूप बेहद तेजी से बदला है।

दरअसल इस काल में हिंदी जन–जन की भाषा बन गई। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस दौरान हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रचलन खूब बढ़ा। ये हिंदी भाषा का ही असर था कि उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत से भी आने वाले आजादी के नायकों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार किये जाने की पुरजोर वकालत की। हालांकि हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है।

यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें दो प्रमुख अंतर हैं। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहाँ जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इससे भावात्मक और सांसतिक रूप से जुड़े होते हैं तो वही राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। राजभाषा का प्रयोग अक्सर सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्मिकों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1967 में इसे संशोधित किया गया। इसमें किये गए प्रावधानों से अहिंदी भाषी राज्यों की तो चिंता खत्म हो गई मगर हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व मानने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई।

वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग ही हिंदी के प्रचार–प्रसार से संबंधित विभिन्न समारोहों जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह का आयोजन करता है। इसी के तत्त्वाधान में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।

विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

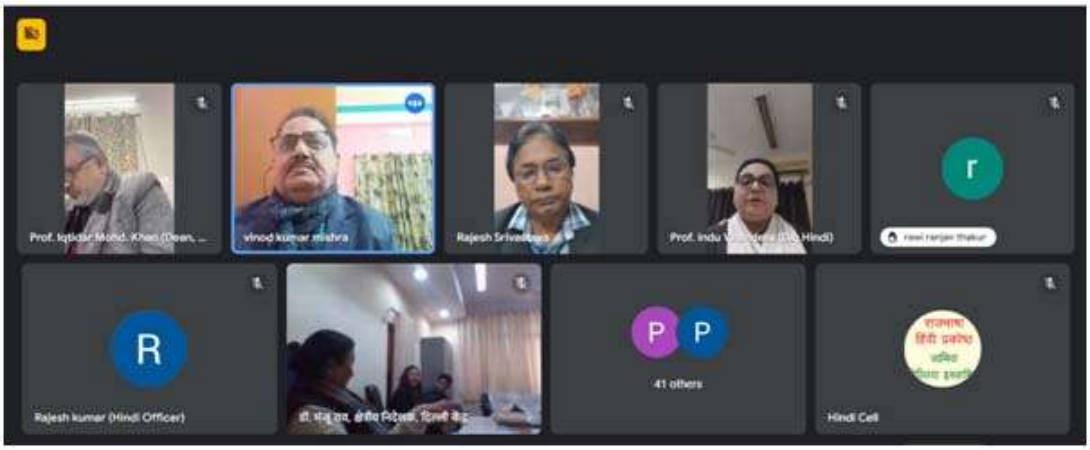

गोपालदास नीरज

आँसू जब सम्मानित होंगे, मुझको याद किया जाएगा
जहाँ प्रेम का चर्चा होगा, मेरा नाम लिया जाएगा

मान–पत्र मैं नहीं लिख सका, राजभवन के सम्मानों का
मैं तो आशिक रहा जन्म से, सुंदरता के दीवानों का
लेकिन था मालूम नहीं ये, केवल इस गलती के कारण
सारी उम्र भटकने वाला, मुझको शाप दिया जाएगा

खिलने को तैयार नहीं थी, तुलसी भी जिनके आँगन में
मैंने भर–भर दिए सितारे, उनके मटमैले दामन में
पीड़ा के संग रास रचाया, आँख भरी तो झूम के गाया
जैसे मैं जी लिया किसी से, क्या इस तरह जिया जाएगा

काजल और कटाक्षों पर तो, रीझ रही थी दुनिया सारी
मैंने किंतु बरसने वाली, आँखों की आरती उतारी
रंग उड़ गए सब सतरंगी, तार–तार हर साँस हो गई
फटा हुआ यह कुर्ता अब तो, ज़्यादा नहीं सिया जाएगा

सफलता के सूत्र

– अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना सीखो। – डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

– जो सभी का मित्र होता है, वो किसी का मित्र नहीं होता। – अरस्तू

– जीवन लंबा होने के बताएं महान होना चाहिए। – डॉ. बी.आर. अंबेडकर

– जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। – राल्फ वाल्डो इमर्सन

– मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। – आचार्य चाणक्य

– सपने वे नहीं, जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे है, जो आपको सोने नहीं देते। – डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

– उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। – स्वामी विवेकानंद

– आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह बदलाव आप ही बनिए। – महात्मा गांधी

– बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, वह है आपके काम से प्यार करना। – स्टीव जॉब्स

– अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता। नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता, केवल प्यार ही इसे निकाल सकता है। – मार्टिन लुथर किंग जूनियर

– "मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ़े हैं जो काम नहीं करते।" – थॉमस एडिसन

– जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक नहीं यह होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। – नेल्सन मंडेला

– शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के उपयोग कर सकते हो। – नेल्सन मंडेला

– विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। – थेडोर रूजवेल्ट

– खुशी कुछ तैयार नहीं होती, यह आपकी खुद की क्रियाओं से आती है। – दलाई लामा

– अपना दिल, दिमाग और आत्मा अपने छोटे से छोटे काम में भी लगा दो। यही सफलता का रहस्य है। – स्वामी शिवानंद

– नकल में सफल होने से मौलिकता में असफल होना बेहतर है। – हरमन मेलविल

– सफलता का मार्ग और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसा है। – कॉलिन आर डेविस

– सफलता आमतौर पर उन्हें मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। – हेनरी डेविड थॉरो

–. सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया, जिसके आप सक्षम हैं। – जॉन वुडन

– मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा। मैंने इसके लिए काम किया। – एस्टी लउडार

– सफलता वह है जो आप चाहते हैं, खुशी वह है जो आप प्राप्त करते हैं। – डब्ल्यूपी किन्सेला

– सफलता पूर्णता, कड़ी मेहनत, असफलता से सीखने, निष्ठा और ढ़ता का परिणाम है। – कॉलिन पॉवेल

– आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। – विराट कोहली

– जीवित रहना ही मेरी एकमात्र आशा थी, सफलता ही मेरा बदला है। – पेट्रीसिया कॉर्नवेल

– आपकी सफलता का रहस्य आपके दैनिक एजेंडे से निर्धारित होता है। –जॉन सी मैक्सवेल

– जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। –स्टीफन हॉकिंग

– सकारात्मक सोच के साथ आपके सकारात्मक कार्य से सफलता मिलती है। – शिव खेड़ा

दास्ताने जामिया

डॉ. मो. नुरुल इस्लाम*

तहरीक आज़ादी की एक मिसाल जामिया
तरक़्की पे गामज़न है सौ साल जामिया
पामाल हक़ पे उठता रहा है सवाल जामिया
गोया के हर शोबे में है बेमिसाल जामिया

मुख़्लिस के फिक्रों फन का है इनआम जामिया
दुनिया में इल्मो अदब का है ये ऐजाम जामिया
इस मुल्क किबक़ा का मुहाफिज है अनआम जामिया
गोया के हर खासो–आम का है ये एकराम जामिया

अमनो सलामती का है पैगाम जामिया
दानिशवरों का है ये दरो–बाम जामिया
उल्फत कशों का है ये सुबह–शाम जामिया
गोया के हर दिल अजीज है पुर एहतराम जामिया

दुनिया में सर बलन्दी का एक नाम जामिया
तअसुब पसंद कहते हैं बदनाम जामिया
नफरत पे मोहब्बत का है इन्तेकाम जामिया
गोया के सर जमीन पे दिलाता है एक मकाम जामिया

है शौकों आरज़ू का ये ऐवान जामिया
इल्मो अदब का है ये दीवान जामिया
उख़ुवतो मोहब्बत का है उन्वान जामिया
गोया के हर मजहबो मिल्लत का है इख़्वान जामिया

जौहर है, हकीम है, खुद मोख्तार जामिया
महमूद है, मजीद है, ज़ाकिर है खुद्दार जामिया
उन सब की मेहनतों का है ये शानदार जामिया
गोया के बानियान हैं अज़ीम किरदार जामिया

हर तालिब इल्म का है ये अरमान जामिया
दुनिया के गोशे गोशे में हैं हम ज़ुबान जामिया
हम सब हैं इस गुलिस्तां के बागबान जामिया
गोया के हर ख़ासो आम का है ये मेज़बान जामिया
तेरी मोहब्बतों को दिल से सलाम जामिया

*कंप्यूटर ऑपरेटर, एफटीके–सीआईटी

गीत

डॉ. मो. नुरुल इस्लाम*

जिसको समझ रहे थे कि बेकार हो गया
जाने कहाँ से उसमें चमत्कार हो गया

रद्दी के भाव भी जिसे लेता न था कोई
पॉलिश लगा के चमचमाती कार हो गया

मुश्किल से जिसका दो कदम चलना मोहाल था
टूटी सड़क पे तेज़ वो रफ़्तार हो गया

कल तक थे जिन के होंठों पे इल्तेजा के लफ़्ज
अब उनकी ही जुबान से इंकार हो गया

तूफान के ज़द में जिसने हवाले किया चराग़
खुद अपने फैसले से शरमसार हो गया

पहले ही अपने वक़्त के पाबंद काम न थे
फिर चौदहवीं के चाँद सा दीदार हो गया

पहले ही मुश्किलों से दो चार काम न थे
फिर हादसों का सिलसिला बेदार हो गया

हालात साज़गार था खुशहाल थे सभी
तरक्की के रास्ते में कियों दीवार हो गया

अपनी कमी छुपा के बनता था होशियार
पूरा इलाका देखिए बीमार हो गया

पारिस्थितिकी तंत्र

जैनब ख़ातून*

पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा
माँ की ममता और पेड़ का बलिदान
दोनों करते हैं, जन का कल्याण
चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं।

सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं
जब धरती रहे रहने योग्य, हो पेड़ों की ठंडी छाँव
भंवरे और पक्षी भी रहें सुरक्षित
हर औद्योगिकी प्रतिष्ठान, प्रदूषण की ओर दें ध्यान।

जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी
जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं
देखो बच्चों ऐसे मिलकर रहते हैं जैविक और अजैविक
जब मिलते हैं आपस में तो करते हैं निर्माण पारिस्थिति तंत्र।

*छात्र

कुक्कुर

सिराज अंसारी*

चींटी पर पन्त जी बोले, गिलहरी पर इकबाल
मैंने कुक्कुर पकड़ा है, छोड़ूँगा नहीं मेरे लाल।।
पहले उसको बिस्कुट खिलाया
फिर पूछा उसका हाल
कुक्कुर बोला मजे में हूँ मैं
इंसान ही है बदहाल।
मेरा जो काम है
वह तो मैं करता हूँ
पर तुम इंसानों से ही
थोड़ा–थोड़ा डरता हूँ।
मेरी वफादारी पर भी
तुमने धब्बा लगाया है
तलवे चाटने का काम भी तुमने
मुझसे ही हथियाया है।
आपस की लड़ाई में
खून मेरा पीते हो
दोस्त को भी कुक्कुर बोलकर
कितने मजे लेते हो।
कानून के रखवाले भी
मेरे नाम से इज्ज़त पाते हैं
तलवे चाट नेताओं के
झट से प्रोमोशन पाते हैं।
मैंने कहा– बस कर! अब मरवाएगा क्या?
देख लो कहीं से 'मामाजी' आ जाएँ न!
कुक्कुर बोला– तुम इंसानों की
बस यही तो बुरी आदत है
दुम दबाकर भागना भी
सबसे बड़ी इबादत है।
पहले खुद ही टॉपिक छेड़ा
अब सहमे नजर आते हो
मेरी मानो कुक्कुर ही बन जाओ
जब इंसान से इतना घबराते हो।

कुक्कुर की यह बात मुझे, कुछ ज़्यादा ही भाई है
इंसान तो बन नहीं पाया, कुक्कुर बनने में ही भलाई है।।

*शोधार्थी, शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संकाय

मेरी माँ

मयंक यादव*

जो आईने के सम्मुख खड़ी न होती थी, क्षण भर
अपने हुस्न की फ़िक्र न करती थी, पल भर
जिसकी रातें मेरे सिरहाने ही जाती थी, सहर तक
जिसके धागे उलझे रहते थे हम ही में, सह–पहर तक
जिसने बर्दाश्त किए हमारे लिए, हज़ारों शब्द
उस ख़ूब–रु औरत की तारीफ़ न कर सके हम, दो शब्द
हर शब उससे बात करना क्यों याद आता है, अब
उस शब उससे झगड़ने का क्यों मलाल रहता है, अब
इस रज़्म से संसार में छोड़ जाएगा, वो
जिसके आँचल के तले सुनहरी लगती थी, चाँदनी
जिसके आगोश में जाते ही आ जाती थी नसों में, रवानी
धूप में जिसके संग चले जाते थे मीलों तक
धूप पिघलीं तो उसके आँचल सा कोई दरख़्त ना था।

गीत

इस मौन अधर के कोरे कागज़ पर कैसा गीत लिखें?
बोलो तुमको सखा लिखें या तुमसे बैर लिखें।
इस आँगन की चौखट पर कैसा हम चाँद लिखें
बोलो इस शीत निशा को अपनी जीत या हार लिखें।
इन बागों के फूलों की महकों को कैसे लिखें
बोलो इन फूलों को अपनी जीत या हार लिखें

इस अंबर के अंगनाई में कैसे मीत मिले?
हम बंजारे प्रीत में तेरे कैसे गीत लिखें?
राह देखते सहर से तेरी शाम से गीत लिखें!
शाम में तेरी भौहों की तीखी–सी नोक लिखें!
आँखों में तेरी रोष लिखें या मीठी प्रीत लिखें
बोलो तुम्हारी जीत लिखें या अपनी हार लिखें?
हम बंजारे प्रीत में तेरी कैसे गीत लिखें?

*बी.ए. हिंदी ऑनर्स

भारत में फ़ारसी भाषा का विकास

प्रो. सैयद कलीम असग़र*

इस विषय में किसी भी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है कि फ़ारसी मूल रूप से एक विदेशी भाषा है। परंतु यह बात भी पूर्वरूप से सत्यापित है कि भाषाओं के परिवार में फ़ारसी का संबंध हिंद यूरोपीय घराने से है तथा फ़ारसी भाषा का भारतभूमि और भारत की प्राचीन भाषा ''संस्कृत'' से घनिष्ट संबंध है। एक कथन के अनुसार वर्तमान फ़ारसी में भारी उलटफेर के पश्चात भी, लगभग पैंतीस प्रतिशत शब्द वैदिक व प्राचीन संस्कृत में पाये जा सकते हैं (comparative study of common words of Sanskrit and Persian language page 273) इस कथन को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित शब्दों को ले सकते हैं।

पहले एक से दस तक गिनती को ही लें:

हिन्दी	**संस्कृत**	**फ़ारसी**
पहली	प्रथम	यकूम
दूसरी	द्वितीय	दुव्वुम
तीसरी	तृतीय	सिप्वुम
चौथे	चतुर्था	चहारुम
पांचवा	पंचम	पंजुम
छठी	षष्ठम	शिशुम
सातवें	सप्तम	हफ़्तूम
आठवी	अष्ठम	हशतूम
नवी	नवम्	बहुम
दशमी	दशम	दहुम

इसके अतिरिक्त कुछ शब्दों को दैनिक प्रयोग में लाया जाता है उन पर ध्यान देना आवश्यक है जो संस्कृत और फ़ारसी में समान हैं तथा बहुत बदलाव के पश्चात् भी मूल रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं।

जैसे संस्कृत भाषा में ''वात'' शब्द का प्रयोग होता है हवा के अर्थों में होता है और फ़ारसी में यह शब्द बदलकर ''बाद'' हो जाता है और हवा के लिये प्रयोग होता है। संस्कृत के ''भार'' शब्द को फ़ारसी में ''बार'' बनकर वजन के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरह ज़मीन के लिये संस्कृत में ''भूमि'' शब्द का प्रयोग होता है। फ़ारसी में यही शब्द ''बूम'' बन जाता है।

संस्कृत में मुक्के के लिये ''मुष्ट'' शब्द का प्रयोग होता और फ़ारसी में यही शब्द ''मुशत'' बन जाता है।

इसी तरह संस्कृत शब्द ''खसखस'' फ़ारसी भाषा में ख़शख़श बन जाता है।

संस्कृत ''वाताग'' फ़ारसी में ''बादाम'' बन जाता है। संस्कृत शब्द ''मातृ'' फ़ारसी में ''मादर'' बन जाता है और ''पितर'' फ़ारसी में ''पिदर'' हो जाता है। संस्कृत में ''शाखा'' फ़ारसी में ''शाख'' इन्हीं अर्थों में प्रयोग होता है।

इस तरह संस्कृत और फ़ारसी की एक लम्बी शब्दावली है जिसे इस संक्षिप्त लेख में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इन शब्दों को तो संस्कृत–फ़ारसी में समानता एवं पारस्परिक संबंध को दर्शाने के लिए उद्देश्य प्रस्तुत किये गये हैं।

इन उदाहरणों के अतिरिक्त फ़ारसी एवं संस्कृत भाषा में संबंध की मिसाल ऋग्वेद और अवस्ता में पाई जाने वाली भाषाई समानता है। जिससे फ़ारसी भाषा के विकास में संस्कृत के योगदान को भली भाँति समझा जा सकता है। (comparative study of common words of Sanskrit and Persian language, page 275)

हमें पारसियों की प्राचीन धार्मिक पुस्तक आवस्ता जो अवस्ताई भाषा (जो कि प्राचीन फ़ारसी का ही एक रूप है में लिखी गई है) को देखना चाहिए। यदि इन दोनों भाषाओं (फ़ारसी और संस्कृत) के जानकार ऋग्वेद और अवस्ता में भाषा विज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करें तो वह इस बात को भली भाँति जान सकते हैं। यह भाषाई समानता इतनी अधिक है कि अठारहवीं सदी ईस्वी के अन्त और नवीं शताब्दी के कुछ यूरोपिय विद्वानों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि अवस्ताई भाषा अपने में कोई यूरोपीय भाषा नहीं है बल्कि संस्कृत का ही एक संस्करित रूप है लेकिन बाद में एक अन्य विद्वान प्रोफ़ेसर रस्क ने इस भांति एवं ग़लत अवधारणा को दूर किया और लोगों को बताया कि अवस्ता एक शुद्ध यूरोपीय भाषा में लिखी गई पुस्तक है और यह भाषा संस्कृत की बहन लगती है और संस्कृत और अवस्ताई फ़ारसी में वही संबंध है जोकि इतालवी व लैटिन भाषाओं में है। (comparative study of common words of Sanskrit and Persian language, page 273)

ऊपर लिखित तमाम बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईरान की फ़ारसी भाषा का भारत की संस्कृत भाषा से एक अटूट संबंध है।

*अध्यक्ष, फ़ारसी विभाग

आइये! अब ज़रा आगे की ओर चलत हैं और जानते हैं कि भारत में फ़ारसी भाषा एवं साहित्य का विकास विभिन्न काल में किस प्रकार हुआ?

सार्वजनिक रूप से हमारे यहाँ मान्यता है कि फ़ारसी भाषा का आगमन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ हुआ परन्तु यह मान्यता पूर्ण रूप से सत्य नहीं है पूर्ण सत्य यह है कि भारत और ईरान के संबंध 500 ईस्वी पूर्व से चले आ रहे हैं। ईरानी राजा ''दारा'' ने सबसे पहले ''सिंध' प्रांत को विजय किया था और सिंध पर ईरानियों का राज 32 वर्षों तक रहा। मौर्य काल में दोनों देश एक दूसरे से प्रभावित हुए।

रीति–रिवाज़ तथा सामान्य जीवन में समानता देखने को मिलती है लेकिन सिंध पर ईरानियों का अधिकार लम्बे समय तक नहीं रह पाया और जल्दी ही सिंध स्वतंत्र हो गया। इसके उपरांत तीसरी सदी हिजरी में ईरान के ''सफ़्फारी'' राजाओं ने सिंध को दोबारा जीत लिया। इनके शासन काल में सबसे पहली बार भारतीयों का एक मुस्लिम फ़ारसी भाषी कौम से पाला पड़ा। उस समय के इतिहासकारों के अनुसार सफ़्फारियों के शासनकाल में मुल्तान मंसूरा क्षेत्र के लोग अरबी और सिंधी बोलते थे और मुकरानी लोग फ़ारसी एवं मुकरानी भाषा में बात करते थे। (अदबियात–ए–फ़ारसी में हिन्दूओं का हिस्सा पृष्ठ 1–2)

यह बात भी याद रखने योग्य है कि ईरान में अरबों और इस्लाम के आगमन से पूर्व ईरान के सासानी बादशाहों के काल में संस्कृत में फ़ारसी पेहलवी में साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। (तारीख़े अदबियात–ए–ईरान, लेखक डॉ. रज़ा जादा शफख़, पृष्ठ 35)

यह सब अपनी जगह है लेकिन भारत में पूर्ण रूप से फ़ारसी भाषा का विकास महमूद गज़नवी के द्वारा भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद आरंभ हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चौथी शताब्दी हिजरी में लाहौर जो उस समय महमूद गज़नवी की राजधानी हुआ करता था, उसमें फ़ारसी भाषा एवं साहित्य का भी विकास शुरू हुआ। उसके बाद दरबारी शायरों जैसे उंसरी, फ़रूखी, अस्जदि तथा अन्यों के शेरों में उस समय के भारत का एक जीवित चित्रण मिलता है। जो इस बात की पुष्टि करता है कि वह लोग भारत भूमि पर आकर यहाँ के वातावरण, संस्कृति, ज्ञान और मान्यताओं से काफी हद तक प्रभावित हुए। इस समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अबुल फर्ज़ रन्नी और मसूदसाद सलामन के हिस्से में आई। इसी समय में मशहूर सूफ़ी संत सैयद अली हजवेरी जो दादा गंज बख़्श के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने तस्व्वुफ़ (इस्लामी सूफ़ीवाद) के विषय पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''कशफूल महज़ूब'' लिखी। इस पुस्तक की खास बात यह है कि भारत में फ़ारसी भाषा में सूफ़ीवाद के विषय पर लिखी जाने वाली यह प्रथम पुस्तक है।

गजनवियों के बाद भारत पर गौरियों ने अधिकार जमाया और इन दोनों के बाद सत्ता की बागडोर गुलाम वंश के हाथों में आई। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था वह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। इस परिवार ने फ़ारसी भाषा के प्रति अपनी रूचि दिखाई और ऐबक के दरबार से बड़े–बड़े विद्वान जुड़े हुए थे। इनमें शेख सदरुदिन मौहम्मद बिन हसन निजामी का नाम महत्वपूर्ण है जिन्होंने ऐबक के अनुरोध पर ''ताज–उल–मासिर'' नामी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो फ़ारसी भाषा में भारत में इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है।

ऐबक की मृत्यु के बाद इसके दरबारी कवि और विद्वान जैसे मौहम्मद औफी, मिनहाज सिराज वगैरह ने शम्सुद्दीन इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त किया। मौहम्मद औफ़ी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''जवामी–उल–हिकायत'' को इल्तुतमिश के मंत्री निजामुल्क मौहम्मद जुनैदी को समर्पित किया।

इल्तुतमिश के शासनकाल में बाहरी देशों जैसे–ईरान और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में शायर और विद्वानों ने भारत की ओर पलायन किया। इल्तुतमिश के बाद रूकनूद्दीन फिरोजशाह, रजिया सुल्ताना, नसिरूद्दीन महमूद, ग्यासुद्दीन बलबन के शासनकाल में भी फ़ारसी साहित्य खूब फला–फूला। खासकर इल्तुतमिश के बेटे शहजादा मौहम्मद ने फ़ारसी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। वह विभिन्न प्रकार की साहित्यिक सभाओं का आयोजन करता था। उसके दरबार से भारत के महान फ़ारसी कवि अमीर ख़ुसरो और हसन सिज्ज़ी जुड़े हुए थे। ग़ुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। इस परिवार की साहित्य के प्रति रूचि तथा कवियों और विद्वानों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन ने विदेशी शायरों और आलिमों को भारत की ओर आकर्षित किया। खिलजी दरबार में अमीर खुसरो, मुइद जाजरगी, मुइद दिवाना, ताजुद्दीन इराकी, अमीर अरसलान फलामी, ख़्वाजा, हसन सादुद्दीन मन्तकी, इख्तियारद्दीन बागो और गुगीस मुमताज जैसे ख्याति प्राप्त विद्वान मौजूद थे। इस समय भारत ज्ञान एवं साहित्य का

केन्द्र बन गया था। जब खिलजी वंश का सूर्य अस्त हुआ तो तुगलक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। इस खानदान का पहला बादशाह ग़यासुद्दीन तुग़लक शाह था। उसकी फ़ारसी भाषा एवं साहित्य से बहुत दिलचस्पी थी। अमीर खुसरो उसके दरबार में भी थे। खुसरो ने अपनी रचना ''तुग़लकनामा'' ग़यासुद्दीन तुग़लक को समर्पित की थी। सुल्तान स्वयं भी शायर था और फ़ारसी अरबी के अलावा हिन्दी भाषा का भी उसको काफी अच्छा ज्ञान था। मशहूर इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी, बदरचाच मौलाना जेनुद्दीन शीराज़ी और अन्य प्रसिद्ध कवि तथा विद्वान उसके दरबार से संबंध रखते थे।

फिरोज़ शाह तुग़लक को इतिहास में ज़्यादा रूचि न थी। उसके शासन काल में साहित्य संबंधी गतिविधियाँ कुछ ख़ास नज़र नहीं आती। इतना ज़रूर है कि ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''तारीख़े–ए–फिरोज़शाही'' जो मध्य भारत के इतिहास के संदर्भ में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, को फिरोज़शाह तुग़लक को समर्पित कर दिया। तुगलकों के बाद लोधी साम्राज्य का उदय हुआ। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी ''आगरा'' शहर को बनाया। उसके द्वारा ज्ञान एवं साहित्य को दिए गए संरक्षण ने ''आगरा'' शहर को पूरे भारत और इस्लामी जगत में मशहूर कर दिया था और आगरा शायरों, कलाकारों, सूफी संतों और विद्वानों के एक केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आया। लोधियों के विषय में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि उनके शासनकाल में फ़ारसी भाषा के विकास के लिये उठाये गये कदमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यह था कि फ़ारसी भाषा का प्रचार–प्रसार ग़ैर–मुस्लिमों में किया जाए। प्रसिद्ध इतिहासकार ''कासिम फ़रिश्ता'' का कहना है कि ''हिन्दूओं ने इस काल में (लोधियों के समय) फ़ारसी सीखने, इस भाषा में लिखने–पढ़ने की ओर ध्यान केन्द्रित किया। उससे पहले इस ओर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी (तारीख़े फ़रिश्ता खंड 1, पृष्ठ 187) प्रसिद्ध ईरानी विद्वान ''अली असगर हिकमत'' अपनी पुस्तक ''सरज़मीन–ए–हिंद'' में लिखते हैं कि ''उस समय न सिर्फ ईरानी और हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने फ़ारसी भाषा में महारत हासिल की बल्कि हिन्दूओं में एक बड़ी जमात जिसमें ब्राह्मण और अन्य विद्वान मौजूद थे वह अपने खुद की रूचि के आधार पर फ़ारसी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में मुसलमानों से भी बाज़ी मार ले गये'' (ज़बान–ए–फ़ारसी दर हिन्द, पृष्ठ 39, निसाब–ए–जदीद फ़ारसी)

मूल रूप से फ़ारसी भाषा एवं साहित्य का विकास मुग़लों के शासनकाल में भारत में शुरू हुआ। मुग़ल जिनकी मातृभाषा ''तुर्की'' थी फिर भी वह फ़ारसी भाषा के प्रति ख़ास लगाव रखते थे। इसलिए उनकी दरबारी भाषा फ़ारसी थी।

मुगल वंश का संस्थापक और प्रथम शासक ''जहीरूद्दीन मुहम्मद बाबर'' स्वयं एक कवि भी था। उसने अपनी आत्मकथा ''बाबरनामे'' के नाम से तुर्की भाषा में लिखी है। उसके दरबार में फ़ारसी व अन्य भाषाओं के महान विद्वानों का जमावड़ा था जिनको वह संरक्षण प्रदान करता था। खान्द मीर, शाहबुद्दीन मुअम्माई, मिर्ज़ा हेराती और शेख़ ज़ेनुद्दीन के नाम प्रमुख हैं।

इस वंश का दूसरा शासक नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँ था। हालांकि हुमायूँ का अधिकांश समय सत्ता के संघर्ष और भागदौड़ में गुज़रा परन्तु इसके पश्चात भी उसने कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। वह भी शायरी करता था और अपने ख़ाली समय में वह शेर कहता और साहित्यिक सभाओं का आयोजन करता। लेकिन भारत में फ़ारसी भाषा के स्वर्ण युग आरंभ जब हुआ जब अकबर को मुग़ल वंश की सत्ता प्राप्त हुई। यदि हम इस काल पर विस्तार से चर्चा करें तो अलग से एक ग्रंथ लिखने की आवश्यकता होगी। यह बात सत्य है कि अकबर स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी उसको साहित्य को परखने की शक्ति थी। इसलिए वह कवियों और हर विषय के विद्वानों की कद्र करता था और उसने साहित्य और कला के प्रचार के लिये हर संभव प्रयास किया। इन प्रयासों में उसके द्वारा स्थापित किया गया एक अनुवाद केन्द्र था जिसको ''दारूल तर्जुमा'' कहा जाता था। इसमें विभिन्न भाषाओं जैसे– फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और अन्य स्थानीय भाषाओं के विद्वान को नियुक्त किया गया था। इसके अनुवाद केन्द्र का प्रमुख अकबर का महामंत्र ''अबुल फैज़ फैज़ी'' था। इस केन्द्र में हिन्दी और संस्कृत और हिन्दी भाषा से बहुत सी पुस्तकों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अरबी और फ़ारसी भाषा से संस्कृत में भी किताबों का अनुवाद किया गया। अकबर के काल में संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद होने वाली कुछ प्रमुख पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। 1574 में अब्दुल कादिर बदायूँनी ने संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक 'महाभारत' का अनुवाद किया था तथा ''योग वशिष्ठ'', ''भागवत पुराण'', ''भगवदगीता'', ''रांजतगिणी'', ''लीलावती'', ''रामायण'', ''अर्थववेद''। इसके अतिरिक्त संस्कृत की अन्य पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया तो उनमें से कुछ के शीर्षक भी फ़ारसी रखे गए। उदाहरण के लिए जब अब्दुल क़ादिर बदायूँनी ने ''महाभारत'' का अनुवाद किया

तो उसका नाम ''रज़्मनामा'' रखा। इसी तरह जब अकबर के महामंत्री अबुल फजल अल्लामी ने संस्कृत पुस्तक ''पंचतंत्र'' का फ़ारसी में अनुवाद किया तो उसने उसका शीर्षक ''अयार–ए–दानिश'' रखा (बज़्म–ए–तैमूर, पृष्ठ नं 114–250, निगाही व तरीक–ए–अदब–ए–फ़ारसी दर हिन्द)

ये सभी अनुवाद इस तरह किए गए कि फ़ारसी अनुवादकों के साथ कुछ संस्कृत विद्वानों को भी नियुक्त किया गया जो उन लोगों की अनुवाद में सहायता करते।

यूँ तो अकबर के शासन काल में संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद होने वाली पुस्तकों की एक लंबी सूची है। जिसका विवरण इस संक्षिप्त लेख में करना संभव नहीं है।

अकबर के शासनकाल में भारत में फ़ारसी के विकास में इस देश के हिन्दूओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। फ़ारसी शायरी में महान हिन्दू शायर ''राम मनोहर तोस्नी'' का नाम उल्लेखनीय है। जिसकी फ़ारसी शायरी की चर्चा न केवल पूरे भारत में बल्कि ईरान तक फैली।

अकबर के बाद उसका बेटा 'जहांगीर' राज सिंहासन पर बैठा और अपने पिता की तरह फ़ारसी भाषा का संरक्षक सिद्ध हुआ। उसने फ़ारसी भाषा एवं साहित्य में बहुत महारत प्राप्त की। उसने अपनी आत्मकथा ''तुज़क–ए–जहाँगीरी'' के नाम से लिखी। उसके दरबार में तालिब अमली, उर्फी शीराजी और अन्य मशहूर शायर थे। इस वंश का पांचवां राजा शाहजहाँ था। फ़ारसी भाषा के प्रति वह अपने बाप जहाँगीर और दादा अकबर से भी आगे था। कुदसी और कलीम जैसे शायर उसके दरबार की शान माने जाते थे। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में 'चंदरभान ब्राह्मण' जैसा फ़ारसी कवि और विद्वान था जिसने फ़ारसी शब्दकोष की चार पुस्तकें शाहजहाँ के नाम समर्पित कीं। जब शाहजहाँ की बात हो रही है तो भला उसके बेटे ''दाराशिकोह'' का ज़िक्र किए बिना कैसे रहा जा सकता है।

वह केवल एक कवि या इतिहासकार ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उसने हर प्रकार की संकुचित मानसिकता, धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिकता को नकारते हुए, महान संस्कृत ग्रंथों जैसे उपनिषद और भगवतगीता का फ़ारसी में अनुवाद किया। अतिषद का अनुवाद ''सिर–ए–अकबरी'' के नाम से किया और अन्य पुस्तकें जैसे रिसाला–ए–हक़नुमा, हसनातूल आरिकिन, मुकालिमा–ए–दारा शिकोह बाबा लाल वगैरह लिखी। उनकी सभी रचनाएँ समानता, धर्म और दर्शन पर प्रकाश डालती हैं जो कि फ़ारसी भाषा में एक बिल्कुल अद्भुत विषय था उसकी पुस्तकों से फ़ारसी जगत भी एक महान दर्शन से परिचय हो सका। दारा के योगदान को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से सत्ता पर दारा शिकोह जैसे साहित्यप्रेमी की जगह औरंगज़ेब ने अधिकार जमा लिया। उसकी रुचि साहित्य के बजाय धर्म संबंधी विषयों पर अधिक भी। इसलिए उसके दरबार में फ़ारसी भाषा संबंधी साहित्यिक गतिविधियाँ कुछ ख़ास देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसका दरबार कवियों और साहित्यकारों से ख़ाली नहीं था। उसके दरबार में नेमतख़ान आली और सईद अशरफ़ जैसे विद्वान थे।

औरंगज़ेब के बाद मुग़ल वंश का सूर्य अस्त होना शुरू हो गया और इस परिवार के आखिरी शासक बहादुरशाह ज़फर के काल में अनेकों फ़ारसी, इतिहासकार, साहित्यकार, तथा विद्वान हुए और अनेक पुस्तकें लिखी गईं। प्रसिद्ध विद्वानों एवं कवियों में सिराजुद्दीन खान आरज, आनंद राम मुख़लिस, वृन्दावन दास, खुशगो मीर दर्द, मुंशी हरगोपाल तक्ता, शेख अली हज़ीन, शेख इमाम बख़्श सेहबाई वग़ैरह गुज़रे हैं। यह सूची बहुत लम्बी भी की जा सकती है। परन्तु इस लेख में सभी के नाम सम्मिलित करना संभव नहीं है। बहादुरशाह जफ़र के दरबारी कवि और मशहूर शायर ''मिर्ज़ा ग़ालिब'' थे। ये बात शायद सब लोगों को नहीं पता है कि मिर्ज़ा ग़ालिब उर्दू के अलावा फ़ारसी के एक महान कवि और विद्वान थे। उनकी शायरी उर्दू से अधिक फ़ारसी भाषा में है और वह स्वयं अपनी उर्दू शायरी के बजाए फ़ारसी शायरी पर गर्व करते थे। उनका कहना था कि यदि आप मेरी शायरी को परखना चाहते हैं तो मेरी उर्दू शायरी को नहीं बल्कि मेरी फ़ारसी शायरी को देखें।

मिर्ज़ा ग़ालिब ने फ़ारसी में बहुत सी पुस्तकों की रचना भी की है। फ़ारसी किताबें और उनके पत्र बहुत प्रसिद्ध हैं और कात–ए–युहनि, दस्तबों, मेहर–ए–नीम रोज़, कादिरनामा और पंच–अहंग वग़ैरह शामिल है।

1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति के अन्तर्गत फ़ारसी भाषा जो बीते 800 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक इस देश की सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग हो रही थी, सन् 1837 ई. में उसके स्थान पर उर्दू और अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा घोषित कर दिया।

यहाँ यह बात भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत में फ़ारसी भाषा के इस विकास और प्रसार में केवल मुस्लिम शासकों ने ही नहीं बल्कि उस समय के हिन्दू और सिख राजाओं तथा विद्वानों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यदि हम हिन्दू और सिख शासकों की बात करें तो मराठा, सिख और जाट राजाओं ने भी फ़ारसी को अपने दरबार की दरबारी भाषा बनाई।

यह कार्य इस बात का प्रमाण है कि फ़ारसी भाषा को केवल किसी वर्ग विशेष या जाति ने अपनी भाषा के रूप में नहीं बल्कि समस्त देशवासी इस भाषा के प्रति आदर का भाव रखते थे। अक़बर के शासन काल में राजा टोडरमल ने जो अक़बर के नवरत्नों में से एक और मंत्री थे। उन्होंने भी फ़ारसी को अपने दफ्तर की आधिकारिक भाषा के लिए चुना (अदबीयत–ए–फ़ारसी' में हिन्दूओं का हिस्सा, पृष्ठ 13) यदि हम कश्मीर की बात करें तो सुलतान ज़ैनुल आबिदीन ने अपने ज़माने में हिन्दू के बीच फ़ारसी भाषा का प्रचार–प्रसार किया। कश्मीर के 'सुप्रो' पंडितों ने सबसे पहले फ़ारसी भाषा में लिखना पढ़ना शुरू किया। यहाँ हिन्दूओं में फ़ारसी के बड़े–बड़े विद्वान जैसे ''मजमाअत–तवारीख़'' के लेखक ''पंडित बोदी भट'' जिन्होंने ''ज़ैन'' नाम से संगीत पर एक किताब की रचना की (अदबीयत–ए–फ़ारसी में हिन्दूओं का हिस्सा, पृष्ठ 9–11)

भारत भूमि पर फ़ारसी भाषा के विकास में सिखों के योगदान को भी किसी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस भाषा में उनका योगदान महान है। जिस पर अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो एक अलग से पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। जब हम सिखों के विषय में बात कर रहे हैं तो यह बात भी आवश्यक है कि पंजाब प्रांत, चाहे वह आज का हो या फिर विभाजन से पहले का, दोनों का ही फ़ारसी भाषा के भारत में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ भारत में फ़ारसी भाषा का सबसे पहले विकास हुआ। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में फ़ारसी भाषा की जन्मस्थली ''पंजाब'' है। बाबा गुरु नानक देव जी स्वयं फ़ारसी के एक अच्छे विद्वान थे। इस बात का प्रमाण उनके निम्नलिखित फ़ारसी शेर हैं:–

यक अर्ज गुफ्तम पैश–ए–तू दर–गोश कुन करतार
हका कबीर–ए–करीम तू बेऐक परवरदिगार
दुनिया मकाम–ए–फ़ानी, तहक़ीक़–ए–दिलदानी
हम सर मय–ए–इजराइल गिरफ्त–ए–दिल हिय ना दानी
जन–ए–पिसर, पिदर, बिरादर कस नीस्त दस्तगीर
अखिर बीफतीम कस नदारद, चु शावद तकबीर।
(अदबियात–ए–फ़ारसी में हिन्दूओं का हिस्सा, पृष्ठ 286)

इस तरह सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरू गोविन्द सिंह जी ने भी फ़ारसी भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ़ारसी भाषा एवं साहित्य पर उनकी विशेष पकड़ थी। गुरु जी ने ईरान के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ ''शाहनामा–ए–फिरदौसी'' की तर्ज़ पर अपना काव्य ग्रंथ ''ज़फ़रनामा'' लिखा उन्होंने इसकी रचना 1706 ई. में की थी। गुरु जी साहब ने अपने लोगों और तमाम भारतीयों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको लिखा और साथ ही साथ औरंगज़ेब द्वारा किए गए छल का भी ज़िक्र किया कि उसने कसम खाने के बाद भी अपने बुरे इरादों को नहीं छोड़ा। इसी के साथ साहबज़ादों की शहादत का ज़िक्र भी किया है। ज़फ़रनामा पंजाब में इतिहास का उल्लेख मिलता है। इसलिए शोधकर्ताओं ने इस को ईरान के राष्ट्रीय कवि ''फिरदौस तोसी'' के समान कहा और इसको राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। ज़फ़रनामे का पंजाबी उर्दू तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद हो गया है। गुरुजी का जिक्र करते हुए हम भला ''भाई नन्दलाल गोया'' को कैसे भूल सकते हैं। वह गुरु जी के बहुत निकट थे। उनका जन्म 1653 ई. में हुआ और बाद में वह पंजाब चले आये। वह फ़ारसी के महान कवि है। उन्होंने फ़ारसी के साथ–साथ हिन्दी में शायरी की है। प्रभु प्रेम, आध्यात्मिकता और नैतिकता उनकी शायरी के प्रमुख विषय है।

इसी पंजाब की भूमि पर महाराजा रंजीत सिंह जैसे महान शासक भी हुए हैं। उनके दरबार की अधिकारिक भाषा भी फ़ारसी थी। उन्होंने जाति–धर्म के बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सभी कवियों, साहित्यकारां एवं कलाकारों को अपने दरबार में जगह दी। उनके दरबार में अंग्रेजों को जो पत्र भेजे जाते थे वह भी फ़ारसी भाषा में लिखे जाते थे। सिख और फ़ारसी भाषा के संबंध में यह बात भी उल्लेखनीय है कि महाराजा रंजीत सिंह से पहले, जब बन्दा सिंह बहादुर ने सरहिंद को जीता तो उनके राज्य के सिक्कों पर फ़ारसी भाषा में यह पंक्तियाँ लिखीं:–

सिक्का ज़द हर दो आलम तेग–ए–नानक साहब अस्त।
फतहा गोविन्द सिंह शाह–ए–शाहान–ए–फजल साहिब अस्त।

महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में हकीम अजीजुद्दीन अंसारी, अमरनाथ कुबरा, मुंशी सोहन लाल और मुंशी दयाराम जैसे शायरों और विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं (फ़ारसी ज़बान–ए–अदब और पंजाब)

भारत में फ़ारसी भाषा के इस विकास में एक बहुत बड़ा योगदान सूफी संतों का भी है उनके द्वारा यह भाषा सम्पूर्ण देश में पहुँची। सूफ़ियों के उदार व्यवहार और मानवतावादी आचरण से जनसाधारण में उनके प्रति

आकर्षण पैदा हुआ। उस समय पूरे भारत में सूफी खानकाहों का एक जाल फैला हुआ था। जिससे प्रभावित होकर भारत के बाहर से भी सूफ़ी और सूफ़ीवाद में आस्था रखने वाले कवि और विद्वान भारत आए। इनमें अमीर ख़ुसरो और इराकी के अलावा शरफ बुअली शाह कलंद, जमालुद्दीन, हमीदद्दीन नागोरी और अन्य शायरों के नाम महत्वपूर्ण है। सूफ़ियों के शिष्यों ने फ़ारसी भाषा में अनेकों किताबें लिखीं जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर हसन ने ''फयाइदुल–फ़वाद'' नसीरूद्दीन चिराग़ दिल्ली के शिष्य शेख़ हमीद कलदंर ने ''ख़ैरूल मजलिस'' लिखी। इस तरह हज़ारों किताबों के नाम गिनवाये जा सकते हैं। जो यह संभव नहीं है। इन्हीं सूफ़ियों से प्रभावित होकर फ़ारसी शायरों में सूफ़ियाना शायरी का चलन शुरु हुआ और बेशुमार सूफ़ी शायर अस्तित्व में आये।

भारत में फ़ारसी भाषा और साहित्य के प्रति इस प्रेम और प्रयासों ने फ़ारसी भाषा की एक विशेष शैली को जन्म दिया जिसको हम लोग ''सबक–ए–हिन्दी' के नाम से जानते हैं। यह भारतीय फ़ारसी की पहचान है। जिस का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में किया जाता है। इस शैली को देखते ही प्रतीत होता है कि यह भारतीय फ़ारसी है जिसका लिखने वाला कोई भारतीय मूल का कवि या लेखक है। यदि समय की कमी न होती तो इस विषय पर अभी बहुत कुछ बाकी है जो बताना था लेकिन ऐसा संभव नहीं कि इस लेख में 800 वर्ष का सम्पूर्ण लेखा–जोखा दर्ज किया जा सकता है।

क्योंकि भारतीयों ने फ़ारसी भाषा को सदा एक विदेशी भाषा के रूप में नहीं बल्कि अपनी भाषा के रूप में अपनाया है। इस बात का प्रमाण यह है कि आज भी फ़ारसी भाषा का अस्तित्व इस देश में बाकी है, समय के साथ–साथ वह बात तो नहीं रही लेकिन आज भी भारत के अधिकतर विश्वविद्यालयों में फ़ारसी विभाग मौजूद हैं और सरकारी विभागों में फ़ारसी भाषा संबंधी पद हैं। भारत सरकार ने सदैव फ़ारसी भाषा को प्रोत्साहन दिया है। नई शिक्षा नीति–2020 में फ़ारसी भाषा के लिये विशेष प्रावधान रखा है जिससे भविष्य में यह भाषा भारत में और अधिक मज़बूत होगी। भारत से फ़ारसी भाषा के विकास में जो योगदान दिया है। उसको सम्पूर्ण फ़ारसी जगत मानता है। हम भारतीयों के लिये यह गर्व की बात है कि फ़ारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला अख़बार जिसका नाम ''मिरात–उल–अख़बार'' भारत के बंगाल से प्रकाशित हुआ और उसके संपादक कोई ईरानी नहीं बल्कि महान समाज सुधारक राजा राम मोहनराय थे (इन्तेसाम–ए–अदब पृष्ठ 149)। यही नहीं आज भी फ़ारसी शब्दकोषों में दुनिया में अपना सिक्का जमाये हुए महान फ़ारसी शब्दकोष ''बहार–ए–आज़म'' भारत की देन है जिसको लाला टेक चन्द बहार देहलवी ने संकलित किया है। यह देश वह है जहाँ सफ़ीना–ए–खुशगों, लेखक वृन्दावन दास खुशगों, चंदरभान ब्राह्मण द्वारा मूंशीयात–ए–ब्राह्मण की रचना की गई है। इस दृष्टि से भारत में फ़ारसी भाषा और साहित्य के मैदान में विश्व गुरु की भूमिका निभाता है। शेख सादी ने मानवता का जो संदेश विश्व को दिया था वह निम्नलिखित हैः

सभी मानव एक दूसरे शरीर के हिस्सों की तरह हैं।
वह सब एक ही धातु से बने हैं।
जब कभी शरीर के किसी एक अंग में दर्द होता है तो दूसरे अंग भी दर्द करने लगते हैं।
यदि तू दूसरों से दुख से दुखी नहीं है तो तुझे अपने आप को आदमी कहने का भी कोई अधिकार नहीं है।

(गुलस्तान–ए–सादी)

सादी का यह संदेश आज की संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वार पर लिखा हुआ है और भारत ने सादी के विचारों का सम्मान करते हुए फ़ारसी के उन शेरों को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल के गुम्बद में लिखे हुए हैं। जो इस बात का सूचक है कि भारत विश्व शांति और मानवतावादी हर एक विचार चाहे वह दुनिया की किसी भाषा या देश से हो उसका स्वागत करता है।

स्रोत तथा सहायक पुस्तकें

1. नीगाही बे तारीख़ अदब–ए–फ़ारसी दर हिन्द
   डॉ. तौफ़ीक सुबहानी, दबीर खाना–ए–शुराय–ए– गुस्तरीश ज़बान–ए–फ़ारसी, ईरान (फ़ारसी)
2. नीसाब–ए–जदीद फ़ारसी, हाकीम ज़की अहमद ख़ान, जईयद प्रेस, बल्लीमारान, देहली (फ़ारसी)
3. बज़्म–ए–तेमूरया, सैयद सलाहुद्दीन, अबूर्रहमान शिबली अकादमी, आज़मगढ़ (उर्दू)
4. अदबीयात–ए–फ़ारसी में हिन्दूओं का हिस्सा, डॉ. सैयद अबूल, अंजुमन तरक्की–ए–हिंद
5. हिन्दुस्तान में फ़ारसी अदब (केवल दिल्ली सल्तनत), डॉ. नइमुद्दीन प्रिंट्स, देहली
6. हिन्दू फ़ारसी शोरा मुग़ल ऐहद में, डॉ. आबिदा ख़ातून, कुतुब ख़ाना–ए–हमीदिया, देहली
7. Dreams forgotten, Waris Kirmani, I.M.H. Press Private Limited, Delhi-6
9. Comparative study of common words of Sanskrit and Persian language, Farzaneh Azam Lotfi, Journal of Foreign Language Research, www.Jflr.ut.ac.ir
10. इन्तेसाम–ए–अदब, प्रो. कलीम असग़र, फ़ारसी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

संस्मरण

नरेन्द्र सिंह रावत*

संस्मरण का अर्थ होता है (सम+स्मरण) अर्थात् किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति विशेष के विषय में स्मृति का उल्लेख। संस्मरण में सर्वदा सत्यता का परिचय मिलता है, इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं होता। संस्मरण दो प्रकार के होते हैं स्वयं के बारे में, जिसमें लेखक मुख्य भूमिका में होता है व अपने अनुभव व निजी घटनाओं का वृतांत करता है तथा दूसरों से सुने गए संस्मरण, जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से सुने वृतांत को सुनकर उसके अनुभव का लिपिबद्ध करता है।

आज मैं आपको अपने जीवन में घटित कुछ समय–काल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें, जब मैंने दसवीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की तो मुझे एक अंग्रेज़ी माध्यम से विद्यालय में प्रवेश कराया गया। परन्तु दसवीं तक हिन्दी माध्यम में पढ़ने के कारण, मुझे ग्यारहवीं कक्षा में कम अंक प्राप्त हुए जिसके कारण मुझे लगा कि बारहवीं कक्षा ओपन स्कूल से करने के साथ–साथ ऐसे कोर्स को भी किया जाए जिससे मैं जल्द से जल्द नौकरी करके परिवार की आजीविका में भागीदारी कर सकूँ चूँकि उसी साल मेरे पिता सेवानिवृत्त हो रहे थे एवं उन्हें पेंशन नहीं मिलनी थी। उस वर्ष मैंने ओपन स्कूल की कक्षाएँ रविवार को करीं व बाकि दिन आई.टी.आई. से स्टेनोग्राफी की कक्षाएँ ली। फिर आखिरी चार महीनों में शार्टहैंड की तैयारी बाहर एक कोचिंग सेन्टर से करी जिससे मैं अपनी तैयारी पूरी करने को सुनिश्चित कर सकूँ।

मैं सामान्यतः काफी खेलकूद (विभिन्न प्रकार के खेल) में संलग्न रहने वाला व्यक्ति हूँ परन्तु उस वर्ष मुझे अहसास हुआ कि लगभग पूरा वर्ष मैं किसी भी प्रकार के किसी खेल में भाग ही न ले सका व पूरा वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अंततः परीक्षा का समय आया मेरे गुरु ने मुझे बुलाकर विशेष रूप से कहा कि नरेन्द्र अच्छे नंबरों से पास होना है क्योंकि आई.टी.आई. संस्थान में स्टेनोग्राफी से तब तक केवल 10-15% छात्र ही उत्तीर्ण होते थे परन्तु गुरु की अपेक्षा पर खरा उतरने की तीव्र इच्छा व अपनी पूरा वर्ष लगन से की हुई तैयारी व माता–पिता के आशीर्वाद से मैंने न केवल स्टेनोग्राफी में सफलता पाई अपितु बारहवीं परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में बहत्तर (72) प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की।

जीवन का वह वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस वर्ष में कुछ कम दिन थे या मेरे पास उस समय दिनों को गिनने का समय ही नहीं था। परन्तु इतनी आपाधापी, भागम–भाग व खेल–विहीन वर्ष होने के बावजूद मैं सदैव उस वर्ष को याद करता हूँ क्योंकि उस वर्ष में मुझे अपने जीवन का लक्ष्य नज़र आ रहा था जो कि मैंने सफलता से प्राप्त किया, जिसके कारण मैं एक नौकरी/वेतन प्राप्त कर सका व तदुपरांत एक के बाद एक व अन्ततोगत्त्वा एक सरकारी नौकरी व समाज में प्रतिष्ठा पा सका व अपने परिवार की आजीविका में अपनी भागीदारी दे सका।

मेरे जीवन में खुशियों के अवसर तो अनेक आए परन्तु उस वर्ष विशेष को मैं अपने अंतर्मन में एक विशिष्ट दर्जा देता हूँ व उसे याद करता हूँ जिसकी बदौलत आज मैं 29 वर्ष के कार्यालयी–कार्य का अनुभव ले सका, समाज में मान–मर्यादा व एक अच्छी प्रतिष्ठा कायम कर सका व पारिवारिक दायित्वों में अपनी भागीदारी दे सका।

*निजी सहायक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय

1. राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा हैः महात्मा गांधी
2. मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकताः आचार्य विनोबा भावे
3. जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकताः डॉ. राजेंद्र प्रसाद
4. हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत हैः सुमित्रानंदन पंत

टूटे–टूटे सपने को फिर से मैंने जोड़ा है

अनुज*

टूटे–टूटे सपने को फिर से मैनें जोड़ा है
जिन जंजीरों ने रोका था, उन जंजीरों को तोड़ा है
टूटे–टूटे सपने को फिर से मैंने जोड़ा है।

जो सपना देखा है, अब उसे पूरा करना है
निराश मन में विश्वास फिर से भरना है
उड़ने वाले पंखों में हौसला न थोड़ा है
टूटे–टूटे सपने को फिर से मैंने जोड़ा है।

पथ में खड़ी चुनौतियों को स्वीकार मुझे करना है
मुश्किलों से ड़र कर पलायन नहीं करना है
मैदान–ए–जंग में लड़ना अभी नहीं छोड़ा है
टूटे–टूटे सपने को फिर से मैंने जोड़ा है।

संघर्ष भरे पलों में गाँधी जी को महात्मा बनाया है
जिनके मानवहित कार्यों ने भारत का परचम लहराया है
इन वीर गाथाओं ने मेरा हृदय झिंझोड़ा है
जिन जंजीरों ने रोका था, उन जंजीरों को तोड़ा है।

*एम.ए. / एम.एस.सी. भूगोल

राजभाषा हिंदी

राजभाषा, किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात् सरकारी काम–काज में प्रयोग होती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है।

संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

थोड़ा थक सी जाती हूँ अब मैं

हर्षिता यादव*

थोड़ा थक सी जाती हूँ मैं,
इसलिए दूर निकलना छोड़ दिया है।
पर ऐसा भी नही कि,
अब मैंने चलना ही छोड़ दिया ।
फासले अक्सर रिश्ते में अजीब सी दूरियाँ बढ़ा देते हैं,
पर ऐसा भी नही कि अब मैंने अपनो से मिलना ही छोड़ दिया
हाँ ज़रा अकेला सा महसूस करती हूँ खुद को,
अपनो की ही भीड़ में।
पर ऐसा भी नही है कि,
अब मैंने अपनापन ही छोड़ दिया।
याद तो आज भी करती हूँ मैं सभी को,
और परवाह भी करती हूँ
पर कितना करती हूँ? ये जताना छोड़ दिया है।

बुझने लगी है दीये की आग धीरे धीरे
जलने लगा है देखो इंसान धीरे धीरे
आगे निकलने की लहर क्या आई,
खुशियां होने लगी हैं कुर्बान धीरे धीरे।
बंद कर दो पिंजरे में बाहर न निकले,
बिटिया होने लगी है जवान धीरे धीरे।
पढ़ेगी लिखेगी तो हक मांगेगी,
चलो सिल देते हैं जबान धीरे धीरे।
सर से पल्लू क्या सरका सवाल उठा दिए,
जरा अपने भी तो देखो ईमान धीरे धीरे।
वो घूंघट में रह कर जमीन देखती रही,
आओ देखने देते हैं उसको आसमान धीरे धीरे।
सरक रहे मेरे पांव धीरे धीरे,
हटने लगे हैं अब सर से छांव धीरे धीरे।
पक्की सड़कों से, हमसे जुड़ तो गया शहर,
पर कटने लगा है हमसे गाँव धीरे धीरे।
गाँव में पुरवा हवा बहा करती थी,
पंखे चलने लगे हैं अब दांव धीरे धीरे।

*छात्रा, बी ए, हिंदी प्रथम वर्ष

उड़ान

डॉ. कंचन भारद्वाज*

सफर लंबा था
पर उम्र का हिसाब किसको करना था
सफर में साथ में कौन हो सकता था...?
कौन (हँसते हुए)
उसकी तमन्ना और
और ... और
और उसकी मुस्कान

हाँ, हाँ, वही मुस्कान जो यमुना किनारे
ठंडे पानी में पाँव डाले बैठी
जामिया की लड़कियों ने अपने चेहरों पर पहनी है....
वही मुस्कान जो बंदिशों के बीच से
भी बना लेती है नई बंदिश वही तमन्ना
जो मिमी बाजी और आपा जान के थे
——————
कल–कल करती यमुना में पाँव डाले बैठी लड़कियाँ
शताब्दी द्वार के लॉन में बेधड़क खिलखिलाती लड़कियाँ
हाथों में कैमरा और ट्राई पैड उठाए
अपने सपनों की राह चलती लड़कियाँ
बाढ़ की मुसीबत में गहरे पानी के बीच
लड़कों के संग तैरना जानती लड़कियाँ
हॉकी खेलती लड़कियाँ रवींद्र संगीत गाती लड़कियाँ
तबला बजाती हुई घुँघरूओं की खनक से खेलती लड़कियाँ

अपने बच्चों के संग पढ़ाती पढ़ती
बालक माता की सुंदर लड़कियाँ
अपने पर्दे को संभाले उनमुक्त गगन में
आँचल लहराती, इठलाती हुई लड़कियाँ।
तालीमी इदारे में माँ के दस्तरखान का स्वाद लेती
किताबों के संग बतियाती उड़ाने भरती हमसफर
जामिया की हमसफर लड़कियाँ।
———
बात उन दिनों की है जब परिवार का मतलब
पति पत्नी और सिर्फ अपने बच्चे नहीं था
जामिया की बुनियाद
एक छोटे बच्चे से रखवाई गई और
जामिया की परवरिश
घर की मांओं, बहनों और
बेटियों ने सेवा और सब्र के साथ की।

यहाँ मोहब्बत की दौलत और सब्र की रोटी ने
यहाँ गुल–ए–गुलजार बनाए रखा

आपा जान, बाजी और खाला
पूरे तालीमी इदारे की परवरिश में लगीं थीं
कोई थिएटर को टूल बनाए था
तो कोई नन्हें बच्चों को गले लगाकर बैठा था
——————
सदी के आगे चुनौतियाँ खत्म नहीं हैं अब भी
राजधानी के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में
आजादी के बहत्तर सालों बाद बनी
देश की पहली महिला कुलपति.
यह एक उम्मीद आई एक नई किरण खिली।
कोई प्रयोग था यह शायद कि
उसके बाद कई महिलाओं को
सर्वोत्ष्ट शैक्षिक संस्थानों के
शीर्ष पर प्रशासन करते देखा गया।

बंधनों को तोड़ भीनी–भीनी
मल्हार संगीत की धुन
बज रही है ....

पहाड़ी नदी के किनारे
ठंडे पानी का भीतरी एहसास
पेड़ों के तनों से लिपटी
रौशन झालर का खनकता प्रकाश,
संगीत की मधुर–धुन सा खिलता मिजाज
कमजोर और पिछड़ों की राह प्रशस्त करता ।

ख्वाब यह रात का है कि
दिन का सच ही सही
जैसे आप चलें जहाँ तो वहाँ
बहुत–सी लड़कियाँ, महिलाएँ
नाचती, ढोल बजाती चलें,
ऊपर से बेला और गुलाब बरसे
कोई पसंदीदा मधुर धुन शहनाई पर बजे..

---

*प्रवक्ता–हिंदी, जामिया सीनियर सैकंड्री स्कूल

नए जूते

सबा रेहान*

मैं तब 8वीं कक्षा में थी जब सन् 1984 में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगले वर्ष 1985 से यह दिवस मनाया जाने लगा और इसी उपलक्ष्य में सभी विद्यालयों को आमंत्रित किया गया, योग प्रदर्शन (सूर्य नमस्कार) के लिए। सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों का चयन किया गया और चूंकि बचपन से ही मेरी रूचि खेलकूद में रही थी अतः मेरा चयन भी फौरन उन बीस छात्राओं में हो गया जिनको सूर्य–नमस्कार के लिए स्टेडियम में जाना था। मैं प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी और पूरे मौहल्ले में जा–जाकर सबको बता रही थी कि अगले सप्ताह मुझे स्टेडियम जाना है चूँकि उस समय यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए।

अगले दिन जब मैं विद्यालय गई तो जैसे मेरी सारी आकांक्षाओं पर पानी फिर गया। क्योंकि अध्यापिका ने सबको यह निर्देश दिया कि स्टेडियम जाने के लिए सबको सफेद सूट और काले चमड़े के जूते पहनकर आने हैं। मेरे पास न तो सफेद सूट था और न ही चमड़े के काले जूते थे। बस सारा दिन इसी चिंता में गुज़ारा और जब विद्यालय से घर पहुँची तो माँ के सामने जाते ही रोना निकल गया और उनकी गोद में सिर रखकर सारी परेशानी बतायी। माताजी ने मुझे शांत करवाया और खाना खिलाकर सुला दिया।

ये नया सूट और नए जूते मेरी चिंता का विषय इसलिए थे क्योंकि मेरा जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थी। हम सभी पाँच भाई–बहन सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और सभी मध्यमवर्गीय परिवारों की तरह अपने बड़े भाई–बहन की किताबों, कापियाँ, कपड़े और जूते इस्तेमाल किया करते थे ताकि पिताजी के खर्चों को कम किया जा सके। माताजी घर में सिलाई का काम करती थी ताकि कुछ आय का योगदान वह भी कर सकें। ऐसे में अचानक एक सप्ताह में नऐ कपड़े और जूते लेना बहुत मुश्किल बात थी।

शाम को जब मैं सो कर उठी तो देखा पिताजी दफ़्तर से आ चुके थे और माँ संदूक खोले उनके पास ही बैठी थीं। दोनों ही मेरी बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं स्टेडियम जाने के लिए कितनी उत्साहित थी। पिताजी ने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया और बोले –''बेटा तुम रो क्यों रही हो, अगले सप्ताह तक मैं तुम्हें जूते दिलवा दूँगा।'' बस यह सुनते ही मेरी आधी चिंता दूर हो गई और जब माँ ने कहा कि उनके पास सफेद कपड़ा रखा है और वो खुद मेरा सूट भी सिल देंगी। बस फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं फिर से स्टेडियम जाने के सपने देखने लगी।

माताजी ने दो–तीन दिन में मेरे कपड़े तैयार कर दिए और पिताजी भी मुझे शनिवार के दिन बाज़ार ले जाकर जूते दिलवा कर ले आए।

आख़िरकार वह दिन भी आ गया जब हमें स्टेडियम जाना था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। नए जूतों को बार–बार पॉलिश किया जा रहा था और कपड़ों को निहारा जा रहा था। सुबह नहा धोकर तैयार होकर विद्यालय पहुँच गई। माताजी ने परांठे अख़बार में लपेट कर दे दिए थे और एक पानी की बोतल भी बहुत गर्व से कंधे पर मैंने लटका ली थी। दो चोटियों में लाल रिबन लगा कर कस कर गूँथ लिया गया कि वो थोड़ा सा भी इधर–उधर न हिल जाएँ आख़िरकार मैं स्टेडियम जा रही थी।

सभी विद्यार्थी दो अध्यापिकाओं के साथ गंतव्य स्थल तक पहुँच गए थे। लाइन बनाकर सभी को योग स्थल पर जाना था। अध्यापिका ने सभी के जूते एक कोने में उतरवा दिए और सबको अपनी–अपनी जगह जाने के लिए बोल दिया। ग्राउंड में बहुत से विद्यार्थी आए हुए थे बहुत से विद्यालयों से। एक भीड़–सी लगी हुई थी। सभी ने बड़े जोश के साथ सूर्य–नमस्कार किया। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत था क्योंकि सभी एक साथ योग प्रदर्शन कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि सब–कुछ सही से हो गया था।

अब आयोजन समाप्त हो गया था और सभी अपने विद्यालय की अध्यापिकाओं की तरफ लौट रहे थे। मैं भी यथानिर्धारित जगह पर पहुँची मगर वहाँ पहुँचते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे थे और धक्का–मुक्की में सभी के जूते इधर उधर हो चुके थे। मेरे

*अनुभाग अधिकारी, पेंशन एवं सर्विस बुक अनुभाग

नए जूते नदारद थे, यह देखते ही मेरे आँसू निकल पड़े और मैं भाग–भागकर पूरे ग्राउंड में अपने जूते ढूँढने लगी। मगर सबकी कोशिशों के बाद भी मेरे जूते नहीं मिले, मैं रोते–रोते स्कूल वापिस आ गई।

घर पहुँचते ही फिर मेरा रोना शुरू हुआ क्योंकि मुझे पता था कि उन नए जूतों के लिए मेरे पिताजी और माताजी ने बहुत मुश्किल से पैसे जुटाए थे और वो मैंने एक ही दिन में खो दिए। ख़ैर माँ–बाप का हृदय तो बहुत विशाल होता है। उन दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया और जूतों को भूल जाने के लिए कहा। लेकिन आज पच्चीस साल बाद भी मैं वो जूते नहीं भूल पाई हूँ क्योंकि उनकी कीमत मैं ही जान सकती हूँ। मैं कितने ही जूते फिर से ख़रीद लूँ, मगर वो नए चमड़े के काले जूते वापिस नहीं ला सकती।

अविस्मरणीय घटना

अकील अहमद*

यह घटना मेरे जीवनकाल में स्नातक की परीक्षा के समय की है। मैं परीक्षा देने अपने घर से विद्यालय की ओर जाने में एक घंटे का समय लगता है और विद्यालय से जाने के लिये प्रातःकाल 7 बजे परीक्षा का समय था और मैं अपने घर से महाविद्यालय जाने के लिये प्रातः पाँच बजे निकला और बस में परीक्षा देने के लिए रवाना हुआ। लेकिन आधे रास्ते में ही मेरी बस खराब हो गई जिसमें मैं बैठा यात्रा कर रहा था। मेरे लिए यह बहुत परेशान करने का विषय था कि समय से मुझे परीक्षा के लिए पहुँचना था। मैं बस से उतर कर कुछ पैदल चला और मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी कि समय से न पहुँचा तो मेरी परीक्षा रद्द हो जाएगी। इसी उधेड़बुन में समय छः बज चुके थे। मैंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ ही दूर दौड़ने के पश्चात मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि आज तो मेरी परीक्षा निकल ही जाएगी। यही सोच रहा था कि तभी एक कार सवार मेरे पास से गुज़र रहा था। उसकी नज़र मेरी ओर पड़ी तो उसने कुछ दूरी पर आगे आते हुए कार को रोक दिया। मैंने सोचा कि यह कौन हो सकता है? जब मैंने कार के पास जाकर देखा तो वह हमारे विद्यालय के प्राचार्य चौहान सर थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वह हमें विज्ञान पढ़ाते थे। मैंने उनको प्रणाम किया और कहा कि श्रीमान मेरी बस खराब हो गई थी। जिस कारण मैं विद्यालय जाने और परीक्षा न निकले इसलिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैं तीन किलोमीटर की यात्रा के बाद मेरी हालात खराब हो गई यही सोच कर और परेशान हो रहा था कि अब तो कोई भी वाहन या साधन नहीं मिल पाएगा। तभी मुझे आपका वाहन गुज़रता दिखाई दिया तो मैं आप की ओर एकटक देखता ही रहा। मेरे मुख से आपको रोकने के लिए आवाज़ नहीं निकली आपने स्वयं ही कार को रोक दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और उस पर जब मैंने देखा कि यह तो मेरे शिक्षक की ही कार है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा अगर आप आज कार नहीं रोकते तो मेरी परीक्षा निकल जाती। आपकी अति कृपा है।

तब मैंने ईश्वर का भी धन्यवाद किया और उसने मेरे सर को एक देवदूत की तरह सही समय पर मेरे पास भेजा। और मैं समय से विद्यालय परीक्षा में कक्ष के पास जाकर एक बार और मैंने सर को धन्यवाद किया। यह घटना लिखने का मेरा उद्देश्य केवल यह है कि मनुष्य को कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं घबराना चाहिए। ईश्वर हमेशा अच्छे मनुष्यों की सदैव मदद करता है।

*सहायक संरक्षण, डॉ. ज़ाकिर हुसैन पुस्तकालय

सी.आर.

मुशर्रफ़ हुसैन*

जीवन भर मुझे दो चीजों ने बहुत परेशान किया हैं। इनमें एक साक्षात्कार देने में मुझे पसीने छूट जाते हैं और उस पल भगवान बड़े याद आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी हिमालय पहाड़ की तरह अपनी जगह हैं और दूसरी चीज़ सी.आर. है, जिसका नाम सुनते ही मैं अचेत अवस्था में पहुँच जाता हूँ। मानव जीवन में आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, इसके बाद साक्षात्कार देकर भी आप पूर्ण विश्वास के साथ दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ है, मैं इस पद के लिये सर्वोत्तम उम्मीदवार हूँ।

हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ, अब जो गुलामी दौर में कानून बने वो कानून आज भी चलन में हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपका विभागाध्यक्ष पुरुष हैं तो उनके कमरे की सफाई व्यवस्था ख्याल रखना आवश्यक है तथा जब डी ग्रुप का कर्मचारी छुट्टी पर हो तो वो समय सिर में बड़ा दर्द पैदा कर देती हैं और उनके व्यक्तिगत कार्यों तथा संबंधियों के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार उचित प्रकार से सम्पन्न नहीं हुआ तो जब डी.पी.सी. होगी, उसमें सी.आर. का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसका प्रभाव आपकी पद उन्नति पर अवश्य पड़ेगा।

अब मैं विस्तार से विचार प्रस्तुत करता हूँ। आगामी भविष्य में कभी भी उच्च पद पर पदोन्नति की जाए तो विभागाध्यक्ष का सी.आर. महत्व है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों तथा पत्नी की रिपोर्ट को ध्यान में लेना आवश्यक है क्योंकि विभागाध्यक्ष की चापलूसी कर पदोन्नति कर सकता है वही व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चों पर अत्याचार करता है लेकिन उसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं हो सकती है क्योंकि वह लोक सेवक हैं और उसके बॉस ने उसकी सी.आर. में 'वेरी गुड' दिया है और अगर उसके बच्चे तथा पत्नी कोई शिकायत करें तो वह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः आज हर क्षेत्र में नारी उन्नति के पायदान छू रही है। भारतीय समाज में पुरुष के अपराध को सिद्ध करने में सालों का समय नष्ट हो जायेगा और यह पता नहीं कि फैसला कब और कैसा होगा कहा नहीं जा सकता, न्याय इतना सस्ता और कम समय में नहीं मिलता है क्योंकि हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और होते हैं। अदालतों के फैसले मुकदमों की फाइलें खुलने से पहले बहुत से भगवान के घर चले जाते हैं। मुकदमें स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। अच्छे वकील भी मोटी रकम लेकर केस लड़ते हैं और वेरी गुड सी.आर. के सामने बड़े–बड़े अपराधी भी नेक तथा सज्जन पुरुष साबित हो जाते हैं।

आइए अब मैं आपको जीवन के दूसरे पहलू के दर्शन कराता हूँ। अगर आपके ऑफिस की बॉस महिला है तो सोने पे सुहागा है, समझ लीजिये आपको बहुत सभ्य और विनयशीलता का परिचय देना होगा अगर उनके पति देव उच्च पद पर आसीन है तो आपकी ख़ैर नहीं और मैडम संयुक्त परिवार में रहती है तो समझ लीजिए सूनामी का संकट हमेशा बना रहेगा। कभी घर की समस्याएं कब ऑफिस की समस्या बन जाए पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर बॉस के बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसका भी तनाव ऑफिस के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर पड़े बिना नहीं रहेगा मैडम के इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी हो सकते हैं।

अब जीवन की एक सच्चाई यह है कि अगर आप की पत्नी उच्च पद पर आसीन हैं और पतिदेव की स्थिति कमज़ोर है तो उसका ऑफिस जीवन की कठिनाइयों से भरा होगा। उसे इस तरह बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था तथा घरेलू समस्याओं से निपटना होगा उनके लिए लंच तैयार करना, उनको स्कूल छोड़ना तथा लाना उनके हिस्से का कार्य होगा। रविवार सहेलियों की भेंटवार्ता में गुज़र जाएगा। घर का उत्तरदायित्व पतिदेव पर रहेगा। पतिदेव को रविवार तथा शनिवार के आने जाने का पता भी नहीं चलेगा। अगर साहब उच्च पद पर हैं तो उनको साले, सालियों का जीवन स्तर सुधारने का काम भी करना है। यही मानव सेवा है, यही है मानव सभ्यता के सिद्धांत।

*एलडीसी, स्कूल अनुभाग, जामिइ

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग–17

अध्याय 1––संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ–भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210:विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा–

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान–मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में " शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा––

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधित कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा
क. अंग्रेजी भाषा का, या
ख. अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति–

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

*साभारः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार वेबसाइट

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को–

क. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

ख. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

ग. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

घ. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

ङ. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्तिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2– प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं––

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा–

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधित भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध––

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3– उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा–

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा

उपबंध न करे तब तक––

क उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

ख.

(i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित

किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधित पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधित कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान–मंडल ने,उस विधान–मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (पअ) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधित पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया––

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4– विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा––

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं––

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी––

1. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश–

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संसति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्त से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

प्रश्न–चिह्न

मयंक यादव*

आतुरता की परम सीमा को लांघे हुए, आज विश्वविद्यालय की लंबी छुट्टी हो गई है, सभी घर की ओर हर्ष और उल्लास से चलने के लिए तैयार हैं। जैसे छुटपन में बच्चे होते हैं मेला जाने के पहले, हमारे मन में भी खासा उल्लास है अभी छः महीने हुए है घर से आए हुए पर ऐसा प्रतीत होता है कि कई दशकों से नहीं देखा घर वालों का मुख। शाम की ट्रेन है पर उत्साह इतना है कि दोपहर से ही रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे हैं। इस बार फिर टिकट नहीं है, सफर फिर से चालू में करना पड़ेगा। ट्रेन में बैठते ही एक अपनत्व का भाव मन में उदविग्र होने लगा क्योंकि हमारे सामने वाली सीट पर बैठा परिवार हमारे ही गाँव के पास का था। अधिकांश व्यक्ति हमारे जिले के थे, एक–दूसरे से अवधी में बात कर रहे थे, सबके मन और मुख पर एक मनहर स्मित झलक रही थी।

धीरे–धीरे अंधेरा हुआ और सभी खा–पीकर सोने की तैयारी करने लगे, हमें नींद नहीं आ रही थी। हमारे अंदर आज भी वही उत्सुकता था, जैसे पहली बार थी घर जाने के लिए। हम इस सोच में डूबे हुए थे कि लिए हुए उपहार जाते ही खोल के बैठ जाएँगे और देंगे सभी को एक–एक करके, लेकिन तभी इस चंचल मन में एक प्रश्न चिन्ह आया कि एक उपहार दो लोगों को पसंद आ गया तो?हमारी ली मिठाई किसी को पसंद नहीं आई तो?इन्हीं प्रश्न चिन्हों के भार में कब भोर हुई पता भी नहीं चला। ऐसा कई दिनों के बाद हुआ कि इतनी सुबह हमारी आँखें अलसाई न थीं, हम अपने ज़िले में प्रवेश कर चुके थे, गेहूँ की फसल तक कर सुनहली हो गई थी। गाँव का वातावरण ऐसा कि जैसे नील कमल की तरह कोमल और आद्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय चाहता था उसे अपने में भर लू और आंखें मूँद लूँ। हमारी ऐसी समझ में ऐसा पहली बार हुआ कि 3–4 घंटे देरी से आने वाली रेल आज बस 1 घंटे ही देर हुई। रेल से उतरते ही बाहर निकले तो दूर खड़ी एक विक्षिप्त सी आकृति हमारी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी, हमें भी वह आकृति कुछ पहचानी–सी लगी और स्वभावनुसार हमसे रहा नहीं गया और हम उससे पूछ बैठे कि आपको कहीं देखा सा लग रहा है, वे अवधी में बोले कि हमें नहीं पहचाना गुरुजी, तब वह धुंधली आकृति कुछ साफ़ होने लगी। वह हमारे गाँव का श्याम था हमारे साथ ही बारहवीं की शिक्षा प्राप्त की थी, पिता एक साधारण किसान थे, 4 बहनें थीं और वो दो भाई। आज उसे 6–7 वर्षों के बाद इस तरह अप्रत्याशित जगह देखने को नहीं सोची थी, स्टेशन से गाँव तक हम साथ ही एक गाड़ी में आए। वह सूरत से कमा कर वापस आ रहा था।

गाड़ी में बैठने के बाद हमारा नाम संबोधित करते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि कहाँ हैं आप आजकल। सुना है आप आचार्य हो गए हैं, हमने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आँखों में हमारे लिए आदर दिख रहा था। साथ ही साथ किंचित मात्र ईर्ष्या–शायद हमारी उपलब्धियों की वजह से, राह भर हमारे बीच कुछ खास संवाद नहीं हुआ। शायद वह छुटपन की दोस्ती कहीं न कहीं शायद और गहरी हो गई थी।

घंटे भर फिर सफ़र में रहने के बाद हम गाँव पहुँच गए। वह दूसरे टोले में रहता था और हम दूसरे। हमारे बीच एक बार पुनः अभिवादन हुआ और अपने–अपने घर की राह में हो गए। घर पहुँचते ही हमें भीड़ ने घेर लिया, और हम श्याम को पुनः भूल गए। रात में जब हमारे चंचल मन ने थोड़ा–सा एकांत पाया तो श्याम का ख्याल आया। हमारे मन में कई प्रश्न चिन्ह उठने लगे कि उसने आगे पढ़ाई की होती तो?

उसके पास भी पर्याप्त सामर्थ्य और धन रहा होता तो? और अगर हम उसकी जगह होते तो? हमारी भी होती यही स्थिति?

कई प्रश्न चिन्हों के साथ जूझकर, थककर कब आँख लगी और भोर हो गई पता भी न चला। प्रातः कई दिनों के बाद खेत पर जाना हुआ, गेहूँ की फसल जो कट रही थी। श्याम के पिता और श्याम ही हमारी फसल भूसे के लिए काट रहे थे। हमारे बीच हाथ जोड़कर अभिवादन हुआ और एक बहुत छोटी सी बातचीत। तब पता चला कि उनकी छोटी बेटी की मृत्यु शादी के डेढ़ साल बाद ही प्रसव के दौरान हो गई उसी के अंतिम भोज में शामिल होने श्याम आया हुआ था। संवाद ने एक–गहरे सन्नाटे का रूप ले लिया और हमने घर की ओर चलते हुए विदा लिया। खेत की पतली कटी–पिटी दूबो से पटी पगडंडियों से घर आते वक़्त कई प्रश्न चिन्ह मन को विचलित कर रहे थे कि कैसे अनाज के छोटे से गल्ले पर बैठा इंसान सोना और इतने बड़े खेत में खड़ा आदमी मिट्टी हो गया?

प्रश्न चिन्हों के साथ पहुँचे ही थे, कि हमसे विश्वविद्यालय खुलने की तारीख आ पहुँची थी।

*छात्र, बी.ए. हिंदी ऑनर्स

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम	अवसर / उपलक्ष्य	दिनांक	विषय	वक्ता
विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार	विश्व हिंदी दिवस	10 जनवरी, 2023	हिंदी का वैश्विक परिदृश्य	डॉ. डी.पी. मिश्रा, सलाहकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
				डॉ. आर.एल.लेखारानी मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग सर्विस मॉरीशस सरकार
				डॉ. देवेन्द्र कुमार शुक्ल केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
				डॉ. नीरज कुमार, हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
कार्यशाला		31 मार्च, 2023	तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरे जाने के संबंध में कार्यशाला	प्रो. इन्दु वीरेन्द्रा निदेशक, जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
कार्यशाला		27 जून, 2023	राजभाषा हिंदी में काम करने के सरल उपाय	प्रो. चन्द्र देव सिंह यादव अध्यक्ष, हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
हिंदी पखवाड़ा	हिंदी दिवस	14–29 सितंबर, 2023	विभिन्न प्रतियोगिताओं / कार्यक्रमों का आयोजन	
बहुभाषी विचार गोष्ठी	भारतीय भाषा उत्सव	11 दिसंबर, 2023	भारत में संस्कृत भाषा की महत्ता	प्रो. गिरीश चंद्र पंत अध्यक्ष, संस्कृत विभाग
			अरबी भाषा की महत्ता और रोज़गार की संभावनाएँ	प्रो. नसीम अख़्तर अध्यक्ष, अरबी विभाग
			उर्दू ज़बान और मुश्तरका तहज़ीब	प्रो. महफूज़ ख़ान अध्यक्ष, उर्दू विभाग
			भारत में फ़ारसी भाषा का विकास	प्रो. सैयद कलीम असग़र अध्यक्ष, फ़ारसी विभाग
			हिंदी का विस्तार और संभावनाएँ	प्रो. चन्द्रदेव सिंह यादव अध्यक्ष, हिंदी विभाग
विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार	विश्व हिंदी दिवस	10 जनवरी, 2024	हिंदी की वर्तमान वैश्विक स्थिति	प्रो. विनोद कुमार मिश्र, पूर्व महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस
				डॉ. राजेश श्रीवास्तव, उप–निदेशक, राजभाषा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
				प्रो. दिलीप शाक्य, हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
				प्रो. मंजू राय, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान

कुलसचिव, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली–110025 द्वारा प्रकाशित